लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 6th LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र
Fifth Session]

[खंड 18 में अंक 21 से 32 तक हैं
Vol. XVIII contains Nos. 21 to 32]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/ CONTENTS

अंक 32 गुरुवार, 31 अगस्त, 1978/9 भाद्र, 1900 (शक)

No. 32 Thursday, August 31, 1978/Bhadra 9, 1900 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं का प्रचार समाचारपत्रों में पहले ही किये जाने के बारे में	Advance Publicity in the Press to Notice given by Members	1
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1–4
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	5–6
वक्तव्य	Statements	5–6
अविलंबनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना–	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance—	6–9
मालडा और मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के जिलों में बाढ़ों के कारण हुई क्षति—	Damage in Malda and Murshidabad Districts (West Bengal) due to Flood—	6–9
श्री विजय मोदक	Shri Bijoy Modak	6–8
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala	6–9
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya	8–9
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	9
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	9–10
89 वां तथा 91 वां प्रतिवेदन	Eighty-ninth and Ninety-first Reports	9–10
भाखड़ा बांध के कारण हटाये गये व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में याचिका	Petitions re. Rehabilitation of Bhakra Dam Oustees	10
निदेश 115 के अधीन वक्तव्य	Statement under Direction 115	10–13
वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Merchant Shipping (Amendment) Bill—*Introduced.*	13
उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक—	Supreme Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill—	13–14

1—326 LSS/78

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव—	Motion to Introduce	
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Verma	13—14
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	Smt. Pravathi Krishnan	14
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	14
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Sh. Shyamnandan Mishra	14
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक— पुरःस्थापित	High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill— *Introduced.*	14
बोलानी ओर्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) तथा प्रकीर्ण उपबंध विधेयक—	Bolani Ores Limited (Acquisition of Shares) and Miscellaneous Provisions Bill—	15
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव—	Motion to Introduce—	
श्री बीजू पटनायक	Shri Biju Patnaik	15
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	15
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under Rule 377—	15—18
1. आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को प्रधान मंत्री द्वारा लिख गये कथित पत्र—	1. Prime Minister's Reported Letters to Chief Minister of Andhra Pradesh—	15—16
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी	Shri G. Narsimha Reddy	15—16
2. बिहार में भूख से हुई मृत्यु के समाचार—	2. Reported Starvation Deaths in Bihar—	16
श्री रामानन्द तिवारी	Shri Ramanand Tiwary	16
3. पोरुमबुट (उत्तर अरकाट, तमिलनाडु) में हुए सांप्रदायिक दंगें—	3. Communal Riots in Perambut North Arcot, Tamil Nadu)	16
श्री जी० एम० बनातवाला	Shri G. M. Banatwala	16
4. पिछड़े वर्गों के लिये सेवाओं में आरक्षण का मामला—	4. Reservation for Backward Classes in Services—	16
श्री राम अवधेश सिंह	Shri Ram Awadhesh Singh	16
5. उत्तर काशी में बाढ़ के समाचार—	5. Reported Floods in Uttar Kashi—	16—17
श्री टी० एस० नेगी	Shri T. S. Negi	16—17
6. बाढ़ नियंत्रण के लिये एक राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता	6. Need for a National Plan to control floods—	17
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	17

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7. उड़ीसा में शिक्षकों के आन्दोलन के समाचार—	7. Reported Teachers' Agitation in Orissa—	17–18
श्री दिलीप चक्रवर्ती	Shri Dilip Chakravarty	17–18
8. काराहगार अंचल में पिपरी गांव में हुई हरिजनों की हत्या का समाचार—	8. Reported Killing of Harijans in Pipri Village in Karahgar Anchal of Rohtas	18
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	Smt. Parvathi Krishnan	18
9. दण्डकारण्य के शरणार्थियों के पुनर्वास की कथित समस्यायें—	9. Reported Problems of resettlement of Dandakaranya refugees—	18
प्रो० समर गुह	Prof. Samar Guha	18
बोट क्लब पर हो रही बैठक में पत्थर फेंकने के फलस्वरूप श्री अटल बिहारी बाजपेयी को लगी चोट की घटना के बारे में	Incident of Stone-throwing at a Boat Club Meeting resulting Injury to Shri Atal Bihari Vajpayee	19–20
प्रेस परिषद् विधेयक—	Press Council Bill—	20–37
खण्ड 5 से 27 और 1	Clauses 5 to 27 and 1	20–37
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to Pass—	
श्री लाल कृष्ण अडवाणी	Shri L. K. Advani	23–37
श्री पी० वेंकटसुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	36
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	36
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	36
विश्व-भारती (संशोधन) विधेयक—	Visva-Bharati (Amendment) Bill—	37–41
विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपने के लिये राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—	Motion for concurrence to recommendation of Rajya Sabha for reference of Bill to Joint Committee—	37–41
डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र	Dr. Pratap Chandra Chundar	37–41
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	38–39
श्री पी० के० कोडियन	Shri P. K. Kodiyan	39
श्री दिलीप चक्रवर्ती	Shri Dilip Chakravarty	39
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	39–40
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	40

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
औद्योगिक संबंध विधेयक—	Industrial Relations Bill—	41—50
विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव—	Motion for reference to Joint Committee—	41—50
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	41—49
श्री दिलीप चक्रवर्ती	Shri Dilip Chakravarty	43
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	43 व 48
श्री पूर्णनारायण सिन्हा	Shri Purnanarayan Sinha	43 व 49
श्री एम० कल्याणसुन्दरम	Shri M. Kalyansundaram	43—44
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	44
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	Smt. Parvathi Krishnan	44—45
भारतीय वायु सेना के लिये विमानों के चयन के समाचार के बारे में—	Statement re. reported Selection of Aircraft for Indian Air Force—	46—47
श्री जग जीवन राम	Shri Jag Jivan Ram	46—47
अस्पताल तथा शैक्षणिक संस्था (कर्मचारी सेवा शर्तें और नियोजन विवाद निपटारा) विधेयक—	Hospitals and Educational Institutions (Conditions of Service of Employees and Settlement of Employment Disputes) Bill—	50—53
विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव—	Motion for reference to a Joint Committee—	50—53
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	50—51
नियोजन सुरक्षा और प्रकीर्ण उपबंध (प्रबंध कर्मचारी) विधेयक—	Employment Security and Miscellaneous Provisions (Managerial Employees) Bill—	53—55
विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव	Motion for reference to Joint Committee	53—55
बोट क्लब पर हुई घटना, जिसमें विदेश मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को पत्थर फेंके जाने के कारण चोटें आईं, के बारे में वक्तव्य—	Statement re-Incident of Stone-throwing at Boat Club resulting in Injuries to the Minister of External Affairs, Shri Atal Bihari Vajpayee—	55—56
श्री एस० डी० पाटिल	Shri S. D. Patil	56
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	56

लोक सभा
LOK SABHA

गुरूवार, 31 अगस्त, 1978/9 भाद्र, 1900 (शक)
Thursday, August 31, 1978/Bhadra 9, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं का प्रचार समाचार पत्रों में पहले ही किए जाने के बारे में घोषणा
ANNOUNCEMENT RE.: ADVANCE PUBLICITY GIVEN IN THE PRESS TO NOTICES GIVEN BY MEMBERS

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि सदन में सदस्यों द्वारा दी जा रही विभिन्न सूचनाओं का समाचार-पत्रों में पहले से ही प्रचार होने लगता है । मैं इस सम्बन्ध में संसद सदस्यों का ध्यान लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के 334 क की ओर दिलाता हूं जिसके अन्तर्गत ऐसा करना नियम विरूद्ध हैं । अत: मैं सम्बन्ध में सदस्यों और समाचार पत्रों का सहयोग चाहता हूं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1978

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री एच० एन० बहुगुणा) : मैं तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 26 अगस्त, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 428 (ङ) में प्रकाशित हुए थे की, एक प्रति सभापलट पर रखता हूँ। **ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2737/78**

केरल वन विकास निगम, कोट्टायम के 30 जून, 1977 को समाप्त हुये वर्ष तथा बिहार राज्य वन विकास निगम, पटना के वर्ष 1976–77 के वार्षिक प्रतिवेदन।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत दो विवरण तथा अधिसूचनाएं

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(एक) केरल वन विकास निगम लिमिटेड, कोटटायम के 30 जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, पटना का वर्ष 1976–77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) (क) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब और (ख) प्रतिवेदनों के हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये सं० एल० टी० 2738/78]**

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) सा० सां० नि० 413 (ड.) जो दिनांक 16 अगस्त, 1978 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 15 जून, 1972 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 310 (ड.) में प्रकाशित वसूली चीनी सम्भरण (नियन्त्रण) आदेश, 1972 को रद्द किया गया है ।

(दो) सा० सां० नि० 414 (ड.), जो दिनांक 16 अगस्त, 1978 के भारत के राज पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय आदेशों को रद्द किया गया है ।

(तीन) सा० सां० नि० 415 (ड.) जो दिनांक 16 अगस्त, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी की ।

(चार) सा० सां० नि० 416 (ड.) जो दिनांक 16 अगस्त, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 20 नवम्बर, 1967 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1752 को रद्द किया गया है । **[(ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये सं० एल टी० 2739/78]**

शाह जाच आयोग का तीसरा और अन्तिम प्रतिवदन, प्रतिवदन पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन, प्रतिवेदन के हिन्दी संस्करण के बारे में विवरण, तथा विधि आयोग का 66 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : महोदय, मैं श्री शान्ति भषण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :–

(एक) आपात के दौरान सत्ता का दुरूपयोग, ज्यादतियां तथा कदाचार किये जाने की जांच करने के लिये गठित शह जांच आयोग का दिनांक 6 अगस्त, 1978 का तीसरा और अन्तिम प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ज्ञापन ।

(2) प्रतिवेदन तथा की गई कार्यवाही के ज्ञापन के हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या ए० टी० 2740/78]**

(3) विवाहित महिला सम्पत्ति अधिकार, अधिनियम, 1874 पर विधि आयोग के 66 वें प्रतिवेदन *(हिन्दी संस्करण) की एक प्रति **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2741/78]**

उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं, श्री एच० एम० पटेल की ओर से, भारतीय स्टेट बैंक, गुजरात के कर्मचारियों के बारे में श्री अहसान जाफरी के अतारांकित प्रश्न संख्या 1080 के 12 मई, 1978 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने, और (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2742/78]**

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, सभापटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2743/78]**

बालक नियोजन अधिनियम में संशोधन सम्बन्धी सूचना को शुद्ध करने वाला विवरण

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : मैं बच्चों को काम पर लगाने के सम्बन्ध में कार्यकारी दल की सिफारिशों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4653 के 28 अगस्त, 1978 को सभा पटल पर रखे गये विवरण में बालक नियोजन अधि। नियम के संशोधन के बारे में दी गई जानकारी को शुद्ध करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2444/78]**

भारतीय पटसन निगम की वर्ष 1976-77 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(एक) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय पटसन निगम लिमिटड, कलकत्ता का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्र सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2745/78]**

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साई) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) विवरण संख्या 10	पन्द्रहवां सत्र, 1976	पांचवीं लोक सभा
(2) विवरण संख्या 8	पहला सत्र, 1977	छटी लोक सभा
(3) विवरण संख्या 11	दूसरा सत्र, 1977	
(4) विवरण संख्या 7	तीसरा सत्र, 1977	
(5) विवरण संख्या 6	चौथा सत्र, 1978	
(6) विवरण संख्या 7	चौथा सत्र, 1978	
(7) विवरण संख्या 1	पांचवां सत्र, 1978	

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० संख्या 2746/78]

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1976-77 के लेखे तथा खाद्य अपमिश्रण चौथा संशोधन निवारण नियम, 1978

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र पटल पर रखता हूं :

(1) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चन्डीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1976-77 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2747/78]**

(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 4 अगस्त, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 393 (ड.) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2748/78]**

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1978 का प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(16) अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 430 (ड.) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 अगस्त, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा नालीदार बोर्ड को उत्पाद शुल्क से छूटी सम्बन्धी ज्ञापन। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2749/78]**

(17) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1978 के प्रतिवेदन संघ सरकार (वाणिज्यिक)—भाग 1—प्रस्तावना, की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2750/78]

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह. (औरंगाबाद) : मैं निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) नागरिकपूर्ति संगठन पर समिति के 61 वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (पांचवीं लोक सभा) के 71 वें प्रतिवेदन के अध्याय पांच में अन्तर्विष्ट सिफारिश पर सरकार का अन्तिम उत्तर और अध्याय तीन में सम्मिलित सिफारिश के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

(2) दूरदर्शन पर समिति के 64 वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (पांचवीं लोक सभा) के 86 वें प्रतिवेदन के अध्याय पांच में सम्मिलित सिफारिशों पर सरकार के अन्तिम उत्तर और अन्य अध्यायों में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

(3) सम्पदा निदेशालय पर समिति के 74 वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशो पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (पांचवीं लोक सभा) के 91 वें प्रतिवेदन अध्याय एक से पांच में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

(4) रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं पर समिति के 77 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (पांचवीं लोक सभा) के 92 वें प्रतिवेदन के अध्याय एक से चार में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

(5) खाद्यानों के उत्पादन पर समिति के 76 वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (पांचवीं लोक सभा) के 93 वें प्रतिवेदन के अध्याय पांच में अन्तर्विष्ट सिफारिश पर सरकार का अंतिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

(6) पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर समिति के 69 वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (पांचवीं लोक सभा) के 95 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिश पर सरकार का अन्तिम उत्तर और अन्य अध्यायों में दी गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

(7) लौह और इस्पात तथा लौह मिश्रित धातुओं के आयोजन, विकास उत्पादन, वितरण आदि पर समिति के 78 वें प्रतिवेदन (पांचवी लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में में प्राक्कलन समिति (पांचवी लोक सभा) के 96 वें प्रतिवेदन के अध्याय पांच में अन्तर्विष्ट सिफारशों पर सरकार के अन्तिम उत्तर और अन्य अध्यायों में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

(8) विदेशों में भारतीय विशेषज्ञों तथा अधिकारियों की प्रति नियुक्ति पर समिति के 88 वें प्रतिवेदन, (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (छठी लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन के अध्याय पांच में अन्तर्विष्ट सिफारिश पर सरकार का अन्तिम उत्तर और अध्याय दो में की गई सिफारशों के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

(9) पर्यटन पर समिति के 100 वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (छठी लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन के अध्याय पांच में अन्तर्विष्ट सिफारिश पर सरकार का अन्तिम उत्तर और अन्य अध्यायों में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

(10) गन्दी बस्तियां हटाने और आवास योजनाओं पर समिति के 97 वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (छठी लोक सभा) के 17 वें प्रतिवेदन के अध्याय पांच में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार के अन्तिम उत्तर और अन्य अध्यायों में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मालदा और मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के जिलों में बाढ़ों के कारण हुई क्षति

श्री विजय मोदक (हुगली) : श्रीमान, मैं **कृषि और सिंचाई** मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व में निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : जुलाई के तीसरे सप्ताह के दौरान गंगा नदी को निम्न पहुचों में बाढ़ें आ गई थीं और 27 जुलाई से इसमें फिर से पानी बढ़ना आरम्भ हो गया तथा 20 अगस्त को फरक्का में 24.42 मीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया जो 1948 में रिकार्ड किए गए 24.52 मीटर के अधिकतम स्तर से 0.1 मीटर कम है । उसके पश्चात् 22 अगस्त से जल स्तर कम होना आरम्भ हो गया परन्तु यह खतरे के निशान से ऊपर ही रहा है । मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में अगस्त के दौरान कई बार भारी वर्षापात हुआ ।

2. पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, इन दोनों जिलों की सभी बड़ी नदियों नामशः गंगा, भगीरथी, भैरब, बसलोई और पगला में 14 अगस्त से पानी बढ़ना आरम्भ हो गया और जंगीपुर, शमशेरगंज, बहराणपुर, लालगोला, रघनाथगंज, जालंगी, भगवानगोला (दो) और रामनगर ब्लाकों के चार क्षेत्र और निचले गांव जलमग्न हो गए । बाढ़ का पानी धुलियान नगर में भी घस गया ।

3. मुर्शीदाबाद जिले में बाढ़ों से मैानिकचाक, रतुवा, एक और कलियाचाक (तीन) ब्लाकों के असुरक्षित क्षेत्र के हिस्से भी प्रभावित हुए । 750 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्र प्रभावित हुआ तथा 4.5 लाख से अधिक की जनसंख्या प्रभावित हुई । राष्ट्रीय मार्ग का पुराना संरखन 0.65 मीटर गहरे पानी

में डूब गया। औरंगाबाद नगर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग टूट गया। 3500 मकानों को या तो क्षति पहुंची या तो गिर गये। 50,000 हैक्टेयर के क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई हैं। एक बच्चे की मृत्यु होने की रिपोर्ट मिली है। किसी पशु के मारे जाने की सूचना नहीं मिली है।

4. मालदा जिले के पांच ब्लाकों, नामश. मलियाचाक (दो और तीन), मनिकचाक, रतुवा (एक) और हरिश्चन्द्रपुर (दो) के हिस्सों में 350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित हुआ और 1.5 लाख की जनसंख्या पर असर पड़ा। 2956 मकानों को या तो क्षति पहुंची अथवा गिर गए। 6400 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसले प्रभावित हुई। 6 व्यक्तियों की मृत्यु होने और 10 पशुओं के मरने की सूचना मिली है।

5. यद्यपि गंगा नदी जलोढ़ मैदानों में लगभग अपने पूरे रास्ते में अपने किनारों के जहां तहां कटाव करने के लिए प्रसिद्ध है, वर्तमान मानसून के दौरान फरक्का बराज परियोजना के किसी घटक को कटाव के कारण खतरा नहीं हुआ है।

6. मालदा जिले में 22000 व्यक्तियों को बचाया गया और 21 कैम्पों में उन्हे जगह दी गई। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक जन-स्वास्थ्य और सफाई के उपाय किए गए। पशुओं के लिए चारा सप्लाई करने के लिए तथा पशुओं में बिमारियो को रोकने के लिए भी प्रबंध किए गए। 400 मी.ट्रक टन गेहूं वितरण के लिये आबंटित किया गया। तेलों को खरीदने के लिए 2 लाख रुपये स्वीकृत किए गए और राहत फुटकर खर्चों, सिले कपड़े और दुग्ध चूर्ण के लिए और 2 लाख रुपये राहत कार्य के भाग के रुप में वितरित किए गए।

मुर्शिदाबाद जिले में तेलो को खरीदने के लिए 3 लाख रुपये और विविध मदों के लिए 5.5 लाख रुपये स्वीकृत किये गए हैं। कपड़े जैसे धोती, साड़ी आदि भी वितरित किए गए हैं। दुग्ध चूर्ण के अलावा, राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपये का भवन-निर्माण अनुदान भी स्वीकृत किया गया है। इस जिले को 18000 मीट्रीक टन गेहूं भी भेजा जा चुका है।

बाढ़ो से उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए अग्रिम योजना सहायता की आवश्यकताओं का बाढ़ग्रस्त स्थल पर जाकर मूल्यांकन करने के लिए 1 से 3 सितम्बर, 1978 तक एक केन्द्रीय दल राज्य के दौरे पर जा रहा है। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

केन्द्रीय दल की सिफारशी की प्रत्याशा में केन्द्र द्वारा पहले ही 5000 टन गेहूं अन्तरिम आबंटन के रुप में भेज दिया गया है।

श्री विजय मोदक : अध्यक्ष महोदय, फरक्का बराज राष्ट्रीय महत्व की योजना है और इस पर 2000 करोड़ रुपया व्यय हुआ है। इसका उद्देश्य यह था कि गंगा से भागीरथी में जल ले जाया जाये जिससे भगीरथी की नौवहन योग्यता में वृध्दि हो और कलकत्ता पतन को बचाया जा सके।

आरम्भ में इससे अनेक आशाएं बंधी थी। यह सोचा गया था की पश्चिम बंगाल की जनता के लिये यह वरदान सिद्ध होगा। किन्तु बाद में सारी आशाओं पर तुषारापात हो गया। गंगा से जितना जल इसमें ले जाना था वह नहीं ले जाया सका और जिस उद्देश्य के लिये इस बराज का निर्माण किया गया था वह पूरा नहीं हुआ। अब यह योजना मुर्शीदाबाद और मालदा जिलों के लिये अभिशाप सिद्ध हो रही है। इस वर्ष इन जिलों का विशाल भूभाग जलमग्न हो गया है। वक्तव्य से भी पता चलता है कि यहां अनेक स्थानो पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा है तथा अनेक लोग बाढ़ पीड़ित हुये हैं।

[श्री विजय मोदक]

1971 से यही होता आ रहा है। हर वर्ष बाढ़ आती है। इस प्रकार का सन्देह व्यक्त किया जा रहा है कि बराज की निर्माण दोषपूर्ण होने से गंगा का कटाव होता है। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध इन्जीनियरों ने विचार व्यक्त किया है कि बराज के दोषपूर्ण निर्माण के कारण गंगा का कटाव हुआ है। उसी से मुर्शीदाबाद में बाढ़ आई है।

क्या केन्द्रीय सरकार निर्माण के इस दोष का पता लगायेगी और उसे सुधारेंगी। केन्द्रीय सरकार ने कुछ उपाय किये है और बहरामपुर के पास एक नहर का निर्माण करवाया है और नहर के निकट एक बांध का निर्माण भी करवाया है।

किन्तु बांध में छः स्थाने पर दरारें आ गई है और इससे पागलो का जल भगीरथी में आ रहा है केन्द्रीय सरकार को इन दरारो को बन्द करने के लिये शीघ्र कदम उठाने चाहिये।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जहां तक फरक्का बराज का सम्बन्ध है, इसका न तो नमूना ही दोषपूर्ण है और न ही इसका निर्माण। अतः दोष का पता लगाने के लिये किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है। यह कहना भी गलत है कि गंगा का कटाव इससे निर्माण के कारण हो रहा है। यह कटाव बड़े समय से हो रहा है अतः इसी कारण से गंगा के पश्चिमी किनारे की रेल लाइन को वहां से हटाने की आवश्यकता हुई है।

श्री विजय मोदक : कटाव क्यों हो रहा है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक प्रस्ताव किया है। यह 1973 में किया गया था और उसका अनुमानित व्यय 1973 था। किन्तु यह योजना तकनीकी जांच पर आधारित नहीं थी और इस सम्बन्ध में आवश्यक आकड़े भी उपलब्ध नहीं थे।

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : इस बाढ़ के अतिरिक्त हमने इस सदन में अन्य स्थानों पर आई बाढ़ के बारे में बहस की है।

मैं यह पूछना चाहता हूँ कि देश भर में नदियों के कटाव की समस्या को सुलझाने के लिये कोई राष्ट्रिय योजना बनाई गई है। यदि नहीं बनाई गई है तो क्या ऐसी योजना बनाने का प्रस्ताव है। आप बाढ़ राहत पर करोड़ो रुपये खर्च कर रहेहैं। उसका क्या लाभ है? क्या आप एक राष्ट्रिय योजना नहीं बना सकते? पिछली सरकार ने कटाव तथा बाढ़ से बचाव के लिये 62 करोड़ रुपये रखे थे। किन्तु अगर उतना ही खर्च करना चाहते हैं तो आपको 140 से 150 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेगा।

क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पुनः केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि उस धनराशि को स्वीकृति की जाये ?

यदि गंगा, भगीरथी और पागला मिल कर एक हो जाये तो उससे उत्पन्न होने वाले खतरे को हम कल्पना भी नहीं कर सकते।

क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की है? एक दल वहां भेजा गया था जो वापिस आ गया है और उसने सिफारिशे की है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने बाढ़-पीड़ितों को राहत देने के लिये 10 करोड़ रुपये की मांग की है। इस समय स्थिति बड़ी भयावह बनी हुई है। केन्द्रीय सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिये प्रभावी कदम उठाने चाहिये। क्या आप पश्चिम बंगाल सरकार को बाढ़ पीड़ितो को राहत पहुंचाने के लिये 10 करोड़ रुपया दे रहे हैं।

अतः मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या बाढ़ नियन्त्रण के लिये एक 'राष्ट्रीय योजना का निर्माण किया जायेगा। आपको मालूम है कि चीनी ने सांग पो में बाढ़ नियन्त्रण कर लिया है। न केवल बाढ़ नियन्त्रण कर लिया है बल्कि लोगों को रोजगार भी मिला है। चीन सरकार से हमारे संबंध अच्छे हो रहे है, क्यों नहीं हमारे एक मन्त्री वहां जा कर पता लगाते कि उन्होंने बाढ़ पर कैसे नियन्त्रण प्राप्त कर लिया है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : बाढ़ नियन्त्रण योजनाएं तैयार की जा रही हैं। गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग ने एक योजना बनाई है जिसके लिये 1043 करोड़ रुपये चाहिये। इसके लिये अन्य अनेक योजनाएं बनाई गई है। अब इनका अध्ययन किया जा रहा है। कुछ योजनाएं स्वीकृत हो गई है और उन्हें योजना आयोग को भेज दिया गया है।

हम एक व्यापक योजना बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रों को बाढ़ से मुक्त रखा जाये। आगामी योजना में हम इस सम्बन्ध में 680 करोड़ रुपये व्यय करेंगे।

संसद की सत्र समाप्त होने के बाद मेरा विचार बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में दौरा करने का है। उसके बाद मैं सोचूंगा कि इस मामले में क्या किया जा सकता है।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): Mr. Deputy Speaker, Sir, in the Calling Attention Notice two things have been mentioned. One is about flood siutation in Murshidabad and Malda districts and the second is about threat to Farakka barrage. Honourable Minister has stated that there is no danger to this barrage. But I would request him to reconsider it and make an inquiry into it with a view to save the national property. The aim of the construction of Farakka barrage was to check floods but it has failed in its purpose as there is threat of floods.

The Chief Ministers of Bihar and Uttar Pradesh have suggested that the Prime Minister should visit Nepal and enter into an agreement to control the flood situation. I would like to know whether the Prime Minister will go to Nepal ?

Shri Surjit Singh Barnala : The main aim of the construction of the Farakka barrage was not to check floods, but its purpose was to supply water to Calcutta Port, so that it is not choked due to silting. So this aim has been achieved.

It has been suggested that the Prime Minister should visit Nepal. The Prime Minister visited Nepal and he talked about it and he has succeeded to a great extent. Shri Vajpayee is also going to Nepal and he will pursue this matter.

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
89 वां और 91 वां प्रतिवेदन

श्री पी० वी० नरसिम्हाराव (हीनमखोंडा) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के सम्बन्धित 'अन्य प्रत्यक्ष करों' पर छठे प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 89 वां प्रतिवेदन।

[श्री पी० वी० नरसिंहराव]

(2) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1974–75 के प्रतिवेदन (रेल) के शंटरों के लिए डीजल इंजनों के विनिर्माण के लिए सहयोग करार सम्बन्धी पैराग्राफ 9 पर 91 वां प्रतिवेदन ।

Chaudhry Hari Ram Mokkasar (Bikaner): Mr. Deputy Speaker, the Hon. Minister was telling about floods. The nullah from the Ghaghghar river in our Bikaner area is in flood and 11 villages have been badly affected. There is shortage of drinking water in our area. I want that water of this nullah may be utilised for drinking purpose. I also suggest that a canal should be constructed to utilise this flood water and crops may be saved and people do not suffer.

Shri Mani Ram Bagri (Mathura): Mr. Deputy Speaker, Sir, I raise a point of order. Thousands of farmers are courting arrest daily near the Parliament House and if this is not discussed in the House, it will be a matter of great shame.

Mr. Deputy Speaker: This is not a point of order.

Shri O. P. Tyagi (Bahraich): This is not the question of farmers. It is anti Harijan agitation.

Shri Mani Ram Bagri: This allegation is wrong... **(Interruption)**...

उपाध्यक्षमहोदय : श्री बागड़ी, आप कृपया बैठ जाइए । श्री रणजीत सिंह एक याचिका प्रस्तुत करेंगे ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल रणजीत सिंह बोलेंगे और किसी की बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी ।

**(व्यवधान)

याचिका का प्रस्तुत किया जाना
PRESENTATION OF PETITION

श्री रणजीतसिंह (हमीरपुर) : मैं भाखड़ा बांध के कारण हटाये गये व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में श्री बलदेव एस० कुतलेहरिया तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूँ ।

निदेश 115 के अधीन वक्तव्य
STATEMENT UNDER DIRECTION 115

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री सोमनाथ चटर्जी निदेश 115 के अधीन वक्तव्य देंगे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर): श्री धन्ना सिंह गुलशन, शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 31 जुलाई, 1978 को तारांकित प्रश्न संख्या 211 के उत्तर में यह बताया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता में 1982 के एशियाई खेलों के आयोजन के बारे में प्रधान मंत्री को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

**कार्यवाही वृत्तांत में शामील नहीं किया गया ।
Not recorded.

यह उत्तर सही नहीं है और यह उत्तर इस सभा तथा माननीय सदस्यों को गुमराह करने के विचार से दिया गया है। 3 फरवरी, 1978 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डा० पी० सी० चन्द्र को एक पत्र लिखा था जिसमें 1982 के एशियाई खेलों का कलकत्ता में आयोजन करने का प्रस्ताव भेजा था।

श्री दिनेश जोरदर, संसद सदस्य ने 21 फरवरी, 1978 को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के प्रस्ताव के बारे में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को लिखा था जिसके उत्तर में डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र ने 9 मार्च, 1978 को भेजे गए पत्र में यह उल्लेख किया था कि सरकार ने अभी तक इस पर निर्णय नहीं किया है कि क्या भारत में 1982 के एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा या नहीं और जब इस मामले पर चर्चा होगी तो पश्चिम बंगाल के इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

15 मई, 1978 को दिनेश जोरदर, संसद सदस्य को अखील भारतीय खेल परिषद के एक सदस्य थे और जो पश्चिम बंगाल खेल परिषद के सदस्य थे और इस समय है प्रधान मंत्री को लिखा कि वह शिक्षा मंत्रालय को भारत में 1982 में एशियाई खेलों को आयोजन करने के बारे में सलाह दे और उसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के प्रस्ताव का भी उल्लेख किया था। श्री दिनेश जोरदर ने श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र के उस पत्र की प्रति भी प्रधान मंत्री को उपर्युक्त पत्र के साथ भेजी जो श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र ने श्री दिनेश जोरदर को भेजी थी। प्रधान मंत्री ने 24 मई, 1978 के अपने पत्र में यह उल्लेख किया कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और आशा है कि शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के लोक निर्माण विभाग क मंत्री श्री जतीन चक्रवर्ती ने इस बारे में श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र को लिखा और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र को फिर 15 जून, 1978 को कलकत्ता में एशियाई खेलों के आयोजन करने के बारे में लिखा। श्री दिनेश जोरदर ने प्रधान मंत्री के पत्र के उत्तर में 1 जुलाई, 1978 को पुनः प्रधान मंत्री को एक पत्र इस बारे में लिखा। 1 जुलाई, 1978 के इस पत्र की एक प्रति केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को भेजी गई।

इन सब पत्रों से यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का प्रस्ताव माननीय प्रधान मंत्री को भेजा गया था और उनके ध्यान में यह लाया गया था। यह भी स्पष्ट है कि यह मामला केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के साथ बार बार उठाया गया और 9 मार्च, 1978 के अपने पत्र में उन्होंने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव का उल्लेख किया और यह आश्वासन दिया कि प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

इस स्थिति में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव माननीय प्रधान मंत्री को बहुत पहले भेज दिया गया था और यह भारत सरकार के विचाराधीन था और है।

इस प्रमाण के बावजूद श्री धन्नासिंह गुलशन ने उपर्युक्त तारांकित प्रश्न का जो उत्तर दिया है वह गलत है और इस सभा को गुमराह करने का प्रयास किया गया है।

शिक्षा, समाज कल्याण संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : श्री समर मुखर्जी संसद सदस्य के तारांकित प्रश्न सं० 211 में जिसका उत्तर लोक सभा में 31-7-78 को दिया गया था यह पूछा गया था कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता में वर्ष 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन करने का प्रस्ताव प्रधान मंत्री को 8 महीने पूर्व ही भेज दिया है जिसमें कहा गया है कि इनका आयोजन 20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर किया जा सकता है। स्थिति

[श्री धन्नासिंह गुलशन]

की शिक्षा मंत्रालय के अभिलेखों से जांच करने के बाद और प्रधान मंत्री कार्यालय से परामर्श करने के बाद शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री द्वारा लोक सभा सचिवालय को सूचित किया गया था कि ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। निर्देश 115 के अंतर्गत, माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा दिए गए वक्तव्य में, इस विषय पर निम्नलिखित पत्र-व्यवहार हुआ बताया गया है :

प्रधान मंत्री के साथ पत्र-व्यवहार

(i) श्री दिनेश जोरदर, संसद सदस्य तथा सदस्य, पश्चिम बंगाल राज्य खेल परिषद का 15 मई, 1978 का पत्र;

(ii) श्री दिनेश जोरदर के 15 मई, 1978 के पत्र के उत्तर में प्रधान मंत्री का 24 मई, 1978 का पत्र;

(iii) श्री दिनेश जोरदार, संसद सदस्य का प्रधान मंत्री को 1 जुलाई, 1978 का पत्र;

शिक्षा मंत्री के साथ पत्र-व्यवहार

(i) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का 3 फरवरी, 1978 का पत्र जिसका उत्तर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा 18 फरवरी, 1978 को भेज दिया गया था;

(ii) श्री दिनेश जोरदर का दिनांक 21 फरवरी, 1978 का पत्र, जिसका उत्तर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा 9 मार्च, 1978 को भेज दिया गया था;

(iii) पश्चिम बंगाल के लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री जतिन चक्रवर्ती का दिनांक 13 जून, 1978 का पत्र जिसका उत्तर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा 28 जून, 1978 को भेज दिया गया था;

(iv) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का शिक्षा मंत्री को भेजा गया 15 जून, 1978 का पत्र;

(v) श्री दिनेश जोरदर का 1 जुलाई, 1978 का पत्र जिसके साथ उसी तारीख के प्रधान मंत्री को भेजे गए उनके पत्र की प्रति भेजी गई थी;

यह देखा जाएगा कि संसद के तीन माननीय सदस्यों के अनुसार भी जिन्होंने कि नोटिस दिया है, **पश्चिम बंगाल सरकार** से प्रधान मंत्री को 1982 के एशियाई खेलों के कलकत्ता में आयोजन के लिए **आठ महिने पहले ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था जिसमें कहा गया हो कि इनका आयोजन 20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर किया जा सकता है**। प्रधान मंत्री के साथ यह पत्रव्यवहार मई, 1978 में अर्थात् प्रश्न का उत्तर देने से तीन महीने पहले ही हुआ था। इस पत्र-व्यवहार में अथवा इस विषय पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के साथ हुए पत्र-व्यवहार में जो कि फरवरी से जुलाई, 1978 के बीच हुआ पश्चिम बंगाल सरकार ने 1982 के ऐशियाई खेलों को कलकत्ता में आयोजित करने के लिए कोई अनुमान नहीं भेजे थे। साल्ट लेक पर एक फुटबाल व एथलेटिक्स स्टेडियम के निर्माण की परियोजना की लागत का अनुमान ही 20 करोड़ रुपये लगाया गया था।

जो कुछ ऊपर बताया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि लोक सभा के 31-7-78 के तारांकित प्रश्न संख्या 211, जिसमें यह सूचना मांगी गई थी कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता में वर्ष 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन करने का प्रस्ताव प्रधान मंत्री को आठ महीने पूर्व ही भेज दिया है, के संबंध में दिया गया नकारात्मक उत्तर तथ्यों के अनुसार सही है और इसलिए

माननीय सदस्य को मेरेद्वारा गुमराह करने के प्रयास का कोई प्रश्न नहीं है। श्री समर मुखर्जी जिन्होंने तारांकित प्रश्न संख्या 211 का नोटिस दिया था, यदि 31-7-78 को प्रश्नोत्तर काल के दौरान लोक सभा में उपस्थित होते तो सारी स्थिति स्पष्ट हो गई होती और प्रश्न का उत्तर पूरक प्रश्नों के साथ दे दिया गया होता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बड़ा गंभीर मामला है। मैंने अपने वक्तव्य में पूरा ब्यौरा दे दिया है। उनका कहना है कि मुख्य मंत्री का प्रस्ताव सरकार का प्रस्ताव नहीं है।

Shri Ugrasen (Deoria): I want to raise a point of order. The Reports of the Ministries are to be laid on the Table of the House both in English and Hindi. Dozens of Reports of the Public Accounts Committee and the Estimates Committee have been laid but these reports have been laid in English only. Not even a single Report has been laid on the Table of the House in Hindi. Arrangements may be made to lay these reports both in English and Hindi.

Deputy Speaker: The Reports are being published in Hindi also. You will get them.

श्री वयालार रवि (चिरचिकील) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। निदेश 115 के अधीन जब हम पूर्व सूचना देंगे तब अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय के विचार जानकर हमें बतायेंगे। जब अध्यक्ष महोदय मंत्री के वक्तव्य को पढ़कर संतुष्ट हो जाते हैं तब वह उन्हें वक्तव्य देने के लिए कहते हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी ने एक संगत बात कही है कि क्या मंत्री जी का विचार यह है कि मुख्य मंत्री सरकार का अंग नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक
MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT) BILL

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में भारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

श्री चांद राम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक
SUPREME COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): मैं श्री शान्ति भूषण की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्रीमती पावती कृष्णन (कोयम्बतुर) : मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं क्योंकि वर्तमान सरकार द्वारा संसद को गरीबों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मंत्री महोदय बार बार निदेश 19(ख) के अधीन ज्ञापन प्रस्तुत कर देते हैं। परन्तु यह कोई ठोस मामला नहीं है। जो कि अविलम्बनीय लोक महत्व का हो। इसे पेश करने की इतनी जल्दी क्या थी। सरकार अगले सत्र तक प्रतीक्षा कर सकती थी।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकिल) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियमानुसार इस विधेयक को इतनी जल्दी पेश करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इस सत्र में अनेक विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं। हमें यह बात समझ में नहीं आती कि पीठासीन अधिकारी द्वारा सरकार द्वारा कारण प्रस्तुत करने पर इस प्रकार से विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति क्यों दी गई है? यदि दो दिन पूर्व सूचना देने का उपबन्ध किया गया है तो उसका कुछ तात्पर्य तो होगा। इसका तात्पर्य यही है कि सदस्यों को विधान के गुण-दोषों तथा मामले के अन्य पहलुओं का अध्ययन करने का अवसर मिल जाय। यदि हमें इनका अध्ययन करने के लिए इतना भी समय नहीं दिया जाता तो स्पष्ट है कि हम इसका अध्ययन नहीं कर पायेंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा : सदस्यों का यह कहना ठीक है कि सरकार को निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो विधेयक पुरःस्थापित किए जा रहे हैं, उनका अध्ययन करने के लिए उन्हें उपयुक्त समय दिया जाना चाहिए। मुझे इस बात पर खेद है कि वर्तमान सत्र में कुछ मामलों में हम ऐसा नहीं कर पाये हैं। मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायत का अवसर सदस्यों को न दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें), अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक
HIGH COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : श्री शान्ति भूषण की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

बोलानी ओर्स लिमिटेड (शेअरो का अर्जन) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक
BOLANI ORES LIMITED (ACQUISITION OF SHARES) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश की आवश्यकताओं को अच्छी तरह पूरा करने के लिए तथा जनसाधारण के हित में राष्ट्रीय इस्पात उद्योग की उन्नति और विकास को सुकर बनाने के लिए लोक हित में बोलानी ओर्स लिमिटेड के शेयरों के अर्जन का और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं बोलानी ओर्स लिमिटेड के शेयरों के अर्जन का विरोध नहीं कर रहा हूँ बल्कि इस बात का विरोध कर रहा हूं कि यह विधान टुकड़ो में पेश किया जा रहा है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र की लौह-अयस्क खानों के प्रति अपने रवैये को स्पष्ट करते हुए कोई व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने के प्रश्न पर विचार कर रही है क्योंकि बोलानी के अलावा अन्य लौह अयस्क खाने भी हैं जिनके बारे में विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : इस कम्पनी में सरकार के पहले ही 50.5 प्रतिशत शेयर हैं तथा अब शेष 49.5 प्रतिशत शेयरों को, जो लगभग 49.5 लाख के हैं, अर्जित किया जा रहा है। यह कम्पनी उस क्षेत्र में है। जिस पर दुर्गापुर इस्पात कारखाना निर्भर है और इसलिए प्रस्तुत विधेयक लाया जा रहा है। वास्तव में यह विधेयक बहुत पहले लाया जाना चाहिये था। कम्पनी की दुर्व्यवस्था का कारण इसका प्रबन्ध अवांछनीय लोगों के हाथों में होता है। इसीलिए हम इसे अर्जित करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश की आवश्यकताओं को अच्छी तरह पुरा करने के लिए तथा जन साधारण के हित में राष्ट्रीय इस्पात उद्योग की उन्नति और विकास को सुकर बनाने के लिए लोकहित में बोलानी ओर्स लिमिटेड के शेयरों के अर्जन का और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयोंका उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये कथित पत्र

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : टाइम्स आफ इंडिया के दिनांक 28 अगस्त, 1978 के अंक में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि आन्ध्र प्रदेश विधान सभा में कांग्रेस विरोधी दल के नेता ने बताया कि प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को पत्र लिख कर इस बात का अनुरोध किया है कि राज्य में भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली एक भूतपूर्व राजा की 2000 एकड़ जमीन, जिस पर गन्ने की खेती की जा रही है, इस अधिनियम के बाहर कर दी जाए।

[श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी]

इस प्रकार का पत्र लिखकर प्रधान मंत्री ने न केवल राज्य के कामकाज में हस्तक्षेप किया है अपितु उन्हें भूमि सुधार अधिनियम का उल्लंघन करने को भी कहा है। श्री देसाई के इस हस्तक्षेप से लोगों के मन में यह सन्देह पैदा हो गया है कि देश के इस समय जिस दल का शासन है, क्या वह भूमि सुधार सम्बन्धी विधान को गम्भीरतापूर्वक लागू करने का इच्छुक है?

(दो) बिहार में हुई भूक से मृत्यु के समाचार

Shri Ramanand Tiwary (Buxar): Most of the people of Bihar are affected by flood. Since the Government did not take any protective measures hundreds of people have been drowned and thousands of cattle heads perished. In Bhojpur district the condition is very serious. Thousands of villages have been inundated on 10th August but the Government did not take any relief measures till the 20th with the result was that one lady in village Sonvarsa died of hunger. When I visited the village I found many people hungry for days together. Hundreds of people whose houses had been washed away were living in the open under the scorching heat of the sun. It is high time that the Central Government rose to the occasion and sanctioned sufficient financial assistance to Bihar to save the people from starvation.

(तीन) पेरनमबुर (उत्तर अरकट तमिलनाडु) में हुए हिन्सात्मक दंगे

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी): पेरनमबुर (नार्थ आर्काट, तमिलनाडु) में साम्प्रदायिक स्थिति बहुत गम्भीर है। उसमें मुसलमानों की सुरक्षा का प्रश्न निहित है। इस समस्या पर गम्भीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। वहाँ दो मुसलमान महिलाओं को जला दिया गया। कई लोग घायल हो गए तथा 25 अगस्त की रात को एक मस्जिद में आग लगा दी गई। लोगों की अंधाधूंद गिरफ्तारी की गई। पुलिस के भेदभावपूर्ण रवैये से मुसलमानों में आतंक फैला हुआ है। तमिल नाडु में कुछ समय से साम्प्रदायिक स्थिति बिगड़ रही थी। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अनेक दंगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन और सम्मान के हित में केन्द्रीय सरकार को कारगर उपाय करने चाहिए।

(चार) पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण का मामला

Shri Ram Awadesh Singh (Bikramganj): The Janata Party in their manifesto had declared that in keeping with the recommendations of the Kalelkar Commission the reservation for backward classes in Government services would be increased from 25 percent to 33 percent. But it is regrettable that even after 18 months no action has been taken in this regard.

The Prime Minister now says that there are some practical difficulties in making reservations for the backward classes. This is rather strange. When the election manifesto was drafted the present Prime Minister was the party chief. Did he not visualise those difficulties at that time?

We demand that reservations should be made in the Central Services according to the rcommendations of Kaka Kalelkar Commission. We have decided to set up an All Party Action Committee to fight for this cause. Let the Prime Minister fulfil his promise and discharge his moral duty.

(पांच) उत्तर काशी में बाढ़ के समाचार

Shri T. S. Negi (Tehri Garhwal): Mr. Deputy Speaker, Sir...

Shri Sharad Yadav (Sabalpur): Mr. Deputy Speaker, please listen to me...

Shri Harikesh Bahadur (Gorakhpur): Your ruling is essential. We are requesting you... **(Interruption).**

Shri T. S. Negi: I want to draw the attention of the House to the damage caused by floods in the border district of Uttar Kashi in U.P. All means of communications have been disrupted and that area has been entirely cut off from the rest of the country. Crops and houses have been completely washed away and no means of livelihood had been left there. As a result feeling of terror and insecurity has been created among the people.

In view of the immense damage caused, relief measures are required to be taken on a massive scale. But what the State Government was doing there was like a drop in the ocean. I would therefore, suggest that arrangements should be made for the immediate resettlement of those families whose land and houses have been destroyed. The Central Government should open stores at important places where essential commodities are made available. The road leading to the Hindu place of worship should be immediately repaired. Books and stationery should be given to the students free of cost and no fee should be charged from them. Employment opportunities should be provided for the unemployed youth. An expert team should be sent there to assess the damage of life and property caused. Steps should be taken to stop land erosion in the area covered by Bhagirathi and its tributaries.

(छः) बाढ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता

श्री के० सूर्यनारायण (एलुरु) : आन्ध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, गुन्टूर और प्रकाशम जिले के कुछ भागों तथा करीमनगर, महबुबनगर, वारंगल तथा मेदक जिलों में अगस्त, 1978 के पिछले तीन सप्ताहों में रिकार्ड वर्षा के कारण आई भारी बाढ़ से चावल, गन्ने, दालों, रूई, बाजरा, ज्वार आदि की लाखों एकड़ फसलें बरबाद हो गई हैं।

कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र में जल निकासी हेतु निर्माण कार्य के लिए हाल के वर्षों में जलनिकासी उपकर के रूप में करोड़ों रुपये की रकम किसानो से एकत्रित की गई है। गोदावरी नदी पर एक बांध बनाने के लिए भी इसी प्रकार किसानो से कर लिया गया है। हाल की बाढ़ से प्रभावित किसानों की नाम भूमि के लिए कम से कम प्रति एकड़ के हिसाब से 250 रु० राज सहायता के रूप में और प्रति एकड़ के हिसाब से 200 रु० दीर्घावधि ऋण के रूप में तथा शुष्क भूमि के लिए 125 रु० की राजसहायता तथा 125 रु० प्रति एकड़ दीर्घावधि ऋण के रूप में एवं एक बोरी मिश्रित उर्वरक प्रति एकड़ के हिसाब से नि:शुल्क किसानों को दी जानी चाहिए। बाढ़ से प्रभावित नहरों और टैंकों की शीघ्रता से मरम्मत की जाए। दीर्घावधि उपाय के रूप में सम्पूर्ण क्षेत्र में जल निकासी प्रणाली आरम्भ की जाए। किसानों को समय पर राहत पहुंचाने के लिए सरकार को फसल बीमा, पशु बीमा आदि दीर्घावधि संरक्षण उपाय करने चाहिए। दीर्घावधि उपायों को अमल में लाने/होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए। बाढ़ नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय योजना शीघ्र ही आरम्भ की जाए।

(सात) उड़ीसा के शिक्षकों के आंदोलन के समाचार

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उड़ीसा के सभी वर्गों के लगभग 85,000 अध्यापक और गैर-अध्यापक कर्मचारी कुछ समय से अपनी 15-सूत्री मांगो के समाधान हेतु प्रयास कर रहे । इस आन्दोलन के क्रम में 9 मार्च, 1978 को छः अध्यापकों की जानें भी चली गई जिस दिन एक बहुत बड़ा आन्दोलन आरम्भ किया गया। पर इसका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

[प्रो० दिलीप चक्रवर्ती]

पांच महीने तक प्रतीक्षा करने के बाद अध्यापकों ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ किया तथा सभी वर्गों के एक हजार से भी अधिक अध्यापक गिरफ्तारी दे चुके हैं। इस मामले में सरकार को समझौतापूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। जो अध्यापक गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें शीघ्र रिहा किया जाए तथा उनके साथ बातचीत आरम्भ की जाए।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बिजू पटनाईक) : मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि शिक्षकों ने उड़ीसा के मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप पर अपना आन्दोलन वापस ले लिया है।

(आठ) रोहतास के कारागार अंचल में पिपरी गांव म दो हरिजनों की हत्या का समाचार

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : 28 अगस्ट, 1978 को रोहतास के कारागर अंचल में जमीदारों के गुण्डो ने दो हरिजनों की हत्या करदी। ये दोनो सासाराम में हुई हत्या का विरोध प्रकट करने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट दल द्वारा आयोजित प्रदर्शन में भाग लेने के बाद अपने गाव वापस आ रहे थे। सूचना मिली है कि एक की तो हत्यारो ने पीछा करके हत्या कर दी और दूसरे को उसके घर ही गोली मार कर हत्या कर दी और उसका सिर काट कर ले गए। यह घटना कई महीनों से हो रही घटनाओं की श्रृंखला की एक कड़ी है।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वह भोले-भाले लोगों विशेषकर हरिजनों पर किए जा रहे आक्रमणों पर गम्भीरता से सोचे। हिंसा पर उतारू निहित स्वार्थों से इन लोगों की रक्षा करने के लिए सरकार शीघ्र कदम उठाए। देश का मजदूर वर्ग अब इस अत्याचार को सहन नहीं कर पायेगा।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चेतावनी देती है कि हरिजनों और आम जनता के विरुद्ध हिंसा की कार्रवाईयों का विरोध करने के लिए वह 7 सितम्बर को अखिल भारतीय स्तर का सत्याग्रह करेगी।

(नौ) दण्डकारण्य में शरणार्थियों के पुनर्वास की कथित समस्याएं

प्रो० समर गुह (कन्टाई) : मैं सरकार का ध्यान दण्डकारण्य के शरणार्थियों की समस्याओं की ओर दिलाता हूं। और इन समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक हल करने के लिए अनुरोध करता हूँ। दण्डकारण्य के लगभग 2,000 शरणार्थी हरिजनों को, जिनमें बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं, आवश्यक भोजन, शरण और चिकित्सा सुविधाएँ नहीं दी गई। इनमें से 8 तो पुलिस की गोली का शिकार हुए। 1,00,000 से अधिक शरणार्थी दण्डकारण्य वापस चले गए हैं और उनमें से करीब 40,000 अभी भी पश्चिमी बंगाल में है। य सभी जिनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है, हरिजन थे। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि :

दण्डकारण्य में लौटने वालों को शीघ्र ही आर्थिक और अन्य साधन उपलब्ध कराए जाएँ।

दण्डकारण्य के शेष शरणार्थियों को तंग न किया जाए और उन्हें सुन्दरबन के क्षेत्र में रहने दिया जाए।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण को पुनः गतिशील बनाया जाए ताकि उन हरिजनों का आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पुनर्वास ...।

बोट क्लब पर हो रही बैठक में पत्थर फैंकने के फलस्वरुप श्री अटल बिहारी बाजपेयी को लगी चोट की घटना

INCIDENT OF STONE THROWING AT A BOAT CLUB MEETING RESULTING IN INJURIES TO SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : एक गम्भीर घटना हुई है। मेरे एक साथी को कांग्रेस (आई) वालों ने पत्थर मारा है। कांग्रेस (आई) वाले वहां थे। . . . **(व्यवधान)**

Minister of External Affairs (Mr. Atal Bihari Vajpayee): Sereval boys and girls had come to protest against the recent gruesome murder of two children in Delhi. They have submitted a memorandum to you. I went to see them. I wanted to speak. Girls were desirous of listening. But certain young people got on the Jeep and stoned us.

Shri Kanwar Lal Gupta: We have also sympathy for them. But why to politicalise the whole matter. I was there, I saw them stoning.

Shri Atal Bihari Vajpayee: I told the girls that the matter is being investigated into. Action is being taken against the police officers. But certain people, I do not know whether they were college students or not, did not allow me to speak. I have been stoned, this is not important. But I want that whole matter should come before the House.

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसको निन्दा की जानी चाहिए। श्री चव्हाण ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : सभी पार्टियों के साथ साथ मैं भी इसकी निन्दा करता हूँ। **(व्यवधान)**** देश में इस समय हिंसा का वातावरण बना हुआ है जिसकी निन्दा की जानी चाहिए ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर) : मैं श्री चव्हाण द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूँ। कुछ सदस्य इस गम्भीर मामले को उग्रता का मामला बना रहे हैं। पूरा सदन इस प्रकार के हिंसा के कार्यों की निन्दा एक आवाज में करता है। मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से इस प्रकार की हिंसा की निन्दा करती हूँ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं भी अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का समर्थन करता हूँ। सरकार न केवल इस कार्य की निन्दा करे बल्कि ऐसे करने वाले अपराधियों की खोज करे।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैं भी अपनी पार्टी तथा अपनी ओर से इस कृत्य की निन्दा करता हूँ। मैं चाहता हूं कि सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाही करे जो कि इस कृत्य के लिये जिम्मेवार हैं। हमारा ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं है। मैं सदस्यों को अनुरोध करता हूँ कि इस काम को राजनीतिक रंग न दें।

Shri Kanwar Lal Gupta: I heard that girls of Jesus and Marry College had come to submit a representation to you. I told them that they can see the Speaker after 1.00 P.M. I went to Boat Club along with the police. Shri Vajpayee was addressing them. The boys and girls present there wanted to listen to him. When I got on the Jeep, I saw Bhim Sain, a youth leader of Cong. (I) and

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded

[Shri Kanwar Lal Gupta]

other History sheeters were also present. They got on the jeep and started thrashing and stoning Shri Vajpayee. The police arrested two or three persons. We asked them not to make any arrest. I want to tell those persons who are seeking the help of Histroy sheeters that we do not need police protection. want that the whole House should condemn this act.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पूरे सदन की ओर से आज की घटना की निन्दा करता हूँ ।

Shri Raj Narain (Rae Bareli): The police administration is responsible for this act. It must have come to the knowledge of police that goondas and criminals were present there. Why did police allow them to get on the jeep of Shri Vajpayee? Had the police been cautious this incident would not have occurred.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं अब अन्य किसी को इस विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री उग्रसेन (देवरिया)** :

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उग्रसेन जी कृपया सदन में कुछ तो व्यवस्था, अनुशासन रखें । सदन के अन्दर यदि हम इस ढंग से व्यवहार करेंगे तो बाहर ऐसी घटनाएं अधिक होंगी । अंशत: इसमें पुलिस भी जिम्मेवार है । कल प्रधान मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है । पुलिस को कुछ और अधिक सतर्क होना चाहिए था । मैं सदन में था इसलिए जेसस एण्ड मेरी कालेज के विद्यार्थियों से नहीं मिल सका । यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी हम इसकी तथा श्री वाजपेयी के साथ जो हुआ उसकी निन्दा करते हैं ।

प्रो० समर गुह (कन्टाई) : पुनर्वास विभाग में एक विशेष पोष्ट की स्थापना की जाए । श्री पन्नालाल गुप्ता को शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएं । स्थानीय कबीलावासियों और दण्डकारण्य के शरणार्थियो में सामाजिक, आर्थिक समन्वय लाया जाए । शरणार्थियो को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए । दण्डकारण्य के हरिजनों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में शामिल कर लिया जाए ताकि वे रोजगार अवसरों का लाभ उठा सके । दण्डकारण्य के शरणार्थियों को कृषि सुविधाएं दी जाएं और लघु उद्योगों के विकास के लिए युनिटों की स्थापना की जाए । संसद सदस्यों का एक दल दण्डकारण्य भेजा जाए ।

आशा करता हूँ कि पुनर्वास मंत्रालय इन सुझावों पर कार्रवाई करेगा ।

प्रेस परिषद विधेयक
PRESS COUNCIL BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम प्रेस परिषद विधेयक पर खंड वार विचार करेंगे ।

Shri Raj Narain (Rae Bareli): Kindly listen to my request. 980 persons were arrested and sent to Tihar Jail yesterday. They did not get their meals last night and water is still not available. This bread has been distributed. **(Interruptions)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया संबंधित मंत्री को लिखिए ।

[श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए ।
Shri N. K. Shejwalkar in the Chair.]

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
**Not recorded.

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैंने भतपूर्व मुख्यमंत्री ज्ञानी जेल सिंह के संबंध में नियम 377 के अन्तर्गत एक मामला उठाया था ।

सभापति महोदय : मुझे खेद है, उसकी अनुमति नहीं मिली । अब हम खण्ड वार विचार करेंगे ।

श्री वसन्त साठे : यह एक महत्वपूर्ण मामला है । कृपया इस मामले को उठाने की अनुमति अवश्य दें ।

सभापति महोदय : अच्छा हम देखेंगे (व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब खण्ड 5 आरम्भ करेंगे ।

श्री बी० के० नायर : खण्ड 5 के संबंध में . . .

सभापति महोदय : वह अवस्था गई । अब इस पर मतदान होगा । मैं अब श्री भाऊ-साहिब थोरट द्वारा पेश की गई संशोधन संख्या 1 और 2 लूंगा ।

संशोधन सं० 1 और 2 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 1 and 2 were put and negatived.

सभापति महोदय : क्या प्रत्येक अलग-अलग अपने संशोधनों पर बल देना चाहता है ।

श्री ए० के० राय : मैं अपने संशोधनों पर मतदान चाहता हूँ ।

सभापति महोदय : अच्छा देखेंगे मैं पहले श्री लक्ष्मी नारायण नायक द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 45 को लेता हूँ ।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक : मैं इसे वापस लेता हूँ ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

The amendments were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : मैं अब श्री ए० के० राय द्वारा रखे गए संशोधन सं० 60 से 77 पर आता हूँ । यदि आप मतविभाजन चाहते है तो आप इनमें से एक को चुन लीजिए ।

श्री ए० के० राय : मैं संशोधन सं० 76 पर मतविभाजन के लिए बल देता हूँ । सशोधन सं० 76 मतदान के लिए रखे गए

पक्ष 14	**विपक्ष 126**
Ayes	Noes

सभापति महोदय : संशोधन अस्वीकार कर दिया गया ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय : मैं अब श्री ए० के० राय द्वारा रखी गई संशोधन सं० 60 से 75 और 77 सदन के मतविभाजन के लिए रखता हूँ ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

संशोधन सं० 89 और 90 सभा की अनुमति से वापस लिए गए ।

संशोधन सं० 103 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया गया ।'

**Note recorded.

संशोधन सं० 109 सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

संशोधन सं० 131 से 135 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

संशोधन सं० 137 सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

संशोधन संख्या 149 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 149 was put and negatived.

खण्ड 5 में संशोधन संख्या 1, 2, 98, 120 और 150 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 1, 2, 98, 120 and 150 to clause 5 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill.

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 78, 79, 80, 81 और 82 प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन संख्या 78 से 82 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 78 to 82 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill

श्री बी० के० नायर (मावेलिकरा) : मैं अपना संशोधन संख्या 92 और 93 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री यशवंत बोरोले (जलगांव) : मैं अपना संशोधन संख्या 138 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बी० के० नायर : मैं अपने संशोधन पर बोलना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : केवल एक मिनट ।

श्री बी० के० नायर : 29 सदस्यों की परिषद इतने व्यापक दायित्व के लिए पर्याप्त नहीं होगी । विधेयक उपयुक्त समितियों की नियुक्ति की व्यवस्था है । मेरा निश्चित सुझाव है अर्थात् इन समितियों में प्राथमिक में स्थिति कार्यकारी समिति को दी जाये जो दैनिक कार्य को पूरा कर सके । मेरा यह भी सुझाव है कि परिषद में एक उप सभापति भी हो । एक कार्यकारी समिति बनाई जाये जिसमें 7 सदस्य हों और धारा 5 की उप-धारा (3) के उप-खण्ड (क), (ख), (घ) और (ङ) में उल्लिखित वर्गों में से प्रत्येक से एक-एक सदस्य शामिल किया जाये ।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : परिषद बहुत बड़ी नहीं है इसमें कुल 29 सदस्य है। अतः इसमें कायकारी समिति बनाना उचित नहीं है। साथ ही जो भी सिफारिशें की गई थी उनमें जो भी ठीक थीं वह प्रवर समिति ने स्वीकार कर ली है और अब यह मानना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

समितियां तो है किन्तु कार्यकारी समिति का प्रस्ताव उचित नहीं है। समिति विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हैं। तीन सदस्यों की एक छोटी समिति किसी विशेष मामले के लिए तो ठीक है किन्तु यह व्यवस्था उसमें पहले ही है।

श्री बी० के० नायर : यह परिषद कब कब बैठती है?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : जब भी सम्भव हो।

सभापति महोदय : यदि आप मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट हैं तो आप को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति होगी।

श्री बी० के० नायर : मैं वापस ले रहा हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिए गये।
The amendments were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : श्री बोरोले क्या आप संशोधन वापस ले रहे है।

श्री यशवन्त बोरोले : मैं वापस ले रहा हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
The amendment was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 8 को विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9, 10, 11 और 12
Clauses 9, 10, 11 and 12

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 से 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 9 से 12 को विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clauses 9 to 12 were added to the Bill.

खण्ड 13

सभापति महोदय : श्री राजकृष्णा डान अपना संशोधन वापस ले रहे हैं।

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : मैं अपने संशोधन संख्या 5 और 6 प्रस्तुत करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं अपना संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अमृत कासर (पणजी) : मैं अपने संशोधन संख्या 41 और 42 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं अपने संशोधन संख्या 83, 84 और 85 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बी० के० नायर (मावेलिकरा) : मैं अपने संशोधन संख्या 94 और 95 प्रस्तुत करता हूं।

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : मैं अपना संशोधन संख्या 105 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं अपना संशोधन संख्या 136 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बी० के० नायर : मैं अपना संशोधन संख्या 96 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : क्या मैं सभी संशोधन को एक साथ मतदान के लिए रखूं ?

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु (कटवा) : मैं कुछ थोड़े से शब्द कहना चाहता हूं। परिषद् की शक्तियां और कृत्य सीमित होने चाहिये। परिषद् का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता तथा समाचार पत्र, समाचार एजेंसियों, टेलिविजन और रेडियो तथा सभी माध्यमों के स्तर को सुधारने का होना चाहिये। मंत्री महोदय भी बार बार यही कहते आये है। अतः मेरा निवेदन है कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : प्रेस परिषद् के कृत्यों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि परिषद् प्रेस की स्वतंत्रता बनाई रखेगी। अतः मैं अपने संशोधन द्वारा इसमें थोड़ा और जोड़ना चाहता हूं। अतः मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को इसे स्वीकृत करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री अमृत कासर (पणजी) : समाचार पत्रों को वास्तव में जो कठिनाइयां होती हैं उससे ही मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। मंत्री महोदय ने आश्वासन तो दिया है किन्तु सरकार बदलती रहती है। अतः सरक्षण की दृष्टि से मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैंने अपना संशोधन प्रेस की स्वतंत्रता बनाये रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता का अर्थ हस्तक्षेप न होना। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसी के पक्ष में थे। भारतीय श्रम जीवी पत्रकार संघ ने अपने संकल्प में भी इसी ओर ध्यान आकर्षित कराया है। श्री वर्गीस तथा श्री प्राण चोपड़ा के उदाहरण हैं कि किस प्रकार का उनके साथ व्यवहार किया गया है। एसी बातें औरों के साथ भी हो सकती हैं। जहां तक उप-खण्ड (ज) का सम्बधि है औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के बारे में परिषद् के कोई कृत्य नहीं होंगे। मेरा सुझाव है कि परिषद् की निर्णायक भूमिका होनी चाहिये जिससे श्रम-जीवी पत्रकारों और सम्पादकों का उत्पीड़न न हो। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो समाचार पत्रों के प्रबन्ध बोर्ड और मालिक परिषद की कोई परवाह नहीं करेंगे।

जहां तक केन्द्रीयकरण अथवा स्वामित्व का सम्बन्ध है मैंने पहले ही समाचार पत्रों के प्रबन्ध में पत्रकारों के सहयोग की बात कही है। यह भारत में कुछ स्थानों में शुरू हो गया है। इसी तरह से समाचार पत्रों पर सामाजिक स्वामित्व की शुरूआत हुई है। यही रवैया इस बारे में होना चाहिये।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : क्या माननीय सदस्य श्री प्राण चोपड़ा के पश्चिम बंगाल के संयुक्त मोर्चा सरकार के समर्थन का उल्लेख कर रहे हैं यह 1967 अथवा 1969 में और न कि 1968 में था क्योंकि कि 1968 में पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार नहीं थी।

श्री बी० के० नायर (मावेलिकरा) : मेरे विचार से परिषद् के अधिकार अपर्याप्त हैं। यह एक निष्प्रभावी निकाय होगा जो इस की स्वतंत्रता की रक्षा करने में असमर्थ होगा।

खंड 14 के अन्तर्गत हम अन्य सभी कारणों के लिये सजा की व्यवस्था कर रहे हैं। यदि पत्रकारों द्वारा कोई बात की जाती है तो परिषद उनके विरुद्ध कार्यवाही करती है। सम्पादक और पत्रकारों को सजा दी जा सकती है। लेकिन परिषद् में नियुक्त उन छः व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की व्यवस्था नहीं है। क्या यह मान लिया जाये कि वे कोई अपराध नहीं करेंगे ?

मेरा सुझाव है कि पृष्ठ 5 पर पंक्ति 35 और 36 का लोप कर आचार संहिता का संवर्ग समाप्त किया जाना चाहिये।

प्रेस के कार्य के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है लेकिन उनके सामाजिक दायित्वों का क्या बना ? उनकी गतिविधियां नगरों तक ही सीमित हैं उनसे गांवों में कोई परिचित नहीं हैं। उन्हें हरिजनों और पिछड़े वर्ग की कोई चिन्ता नहीं है। व्यवसायिक स्तर, ईमानदारी आदि बनाये रखना उचित और आवश्यक है। पत्रकारिता में सच्चे समाचारों को निष्पक्षता से प्रकाशित करने की भावना पैदा की जानी चाहिये। आज ऐसा नहीं होता है। हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना है कि समाचार पत्रों में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कार्यों तथा विकास परियोजनाओं तथा ग्राम्य जीवन की समस्याओं को पर्याप्त स्थान दिया जाये। मेरे संशोधनों का उद्देश्य इन बातों की व्यवस्था करना है।

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : खण्ड 13 (2) (ख) में समाचर पत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिये आचार संहिता की व्यवस्था की गई है। प्रेस की स्वतन्त्रता का मामला बहुत पेचीदा है। केवल कुछ लोगों को ऐसे पेचीदा विषय पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। अतः मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है।

सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि प्रेस पर पहले ही आचार संहिता के रूप में प्रतिबन्ध न लगाया जाये जिसका अर्थ प्रेस द्वारा एक अनुशासन संहिता का पालन हो।

प्रेस परिषद को प्रेस की स्वतन्त्रता के बारे में ऐसी राय देने की छूट होनी चाहिये, जो वह आवश्यक समझे। उसे उन बातों पर भी राय देनी चाहिये जिनपर केन्द्रीय सरकार द्वारा राय मांगी गई हो।

सभापति महोदय : मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं। क्योंकि संशोधन संख्या 104 वही है जो संशोधन संख्या 94 में है, इसे प्रस्तुत किया हुआ नहीं समझा जाना चाहिये। अब श्री चन्द्रप्पन संशोधन संख्या 136 पर बोल सकते हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं कोई भाषण देना नहीं चाहता। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरा संशोधन स्वीकार कर लेंगे।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रेस को आजादी की गारंटी केवल उसी दशा में सम्भव है जब स्वामित्व सम्बन्धी लगाये गये वर्तमान प्रतिबन्धों को हटाया जाये। लेकिन यह मामला केवल प्रेस आयोग द्वारा निपटाया जायेगा जो अपनी सिफारिशें देगा। इसके लिये व्यवस्था है। 1965 में उक्त विधान लाया गया था तो पहले प्रेस आयोग की आचार संहिता सम्बन्धी सिफारिश का भी ध्यान

[श्री लाल कृष्ण अडवाणी]

रखा गया था लेकिन पास किये गये कानून में "बनाने" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस मामले पर प्रवर समिति में विस्तार से विचार किया गया था और आचार संहिता बनाने के पक्ष में राय दी गई थी।

विज्ञापन एजेंसियों और आकाशवाणी और दूरदर्शन को भी इसके अन्तर्गत लाने की बात कहीं गई थी। जहां तक विज्ञापन एजेंसियों का सम्बन्ध है ऐसी करना उचित नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक आकाशवाणी और दुरदर्शन का सम्बन्ध है ये संचार के महत्वपूर्ण माध्यम हअतः जब हम उन्हें स्वायतत्ता प्रदान करने की बात सोचते हैं तो हमें उनके लिये उचित मशीनरी की व्यवस्था करनी होगी।

श्री चित्त बसु द्वारा प्रस्तुत संशोधन बहुत व्यापक है। प्रवर समिति में भी अनेक सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि उन्हें न्यूनतम किया जाना चाहिये। हम चाहते है प्रत्येक उपबन्ध विशिष्ट होना चाहिये, परिषद अधिक प्रभावी हो। अतः सब माननीय सदस्यों को खंड 13 पर समग्र रूप में विचार करना चाहिये।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं अपने संशोधनों पर जोर देना नहीं चाहता। म उन्हें वापिस लेने को तयार हूं।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : श्री चित्त बसु द्वारा उठाया गया विषय ही अन्य तरीके से श्री बनतवाला ने उठाया है।

सभापति महोदय : श्री धीरेन्द्रनाथ बसु, क्या आप अपने संशोधन संख्या 5 और 6 वापिस ले रहे हैं?

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु (कटवा) : मैं अपना संशोधन वापिस लेने के लिये सभा को अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

The amendments were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु, या आप अपना संशोधन संख्या 17 वापिस ले रहे हैं?

श्री चित्त बसु : मैं अपना संशोधन वापिस लेने के लिये सभा को अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : श्री अमृत कासर, क्या आप अपने संशोधन संख्या 41 और 42 वापिस ले रहे हैं?

श्री अमृत कासर (पणजी) : मैं अपने संशोधन वापिस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

The amendments were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : श्री राम, क्या आप अपने संशोधन संख्या 83, 84 और 85 वापिस ले रहे हैं?

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं अपने संशोधन संख्या 83 और 84 पर ध्वनि मत चाहता हूं और संशोधन संख्या 85 पर मत विभाजन चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं श्री ए० के० राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 83 और 84 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं श्री ए० के० राय द्वारा प्रस्तुत खंड 13 पर संशोधन संख्या 85 सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं। जो सदस्य इसके पक्ष में हो वे हां कहें।

श्री ए० के० राय : हां।

सभापति महोदय : जो इसके विरुद्ध हों, वे न कहें।

बहुत से माननीय सदस्य : नहीं।

संशोधन संख्या 85 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 85 was put and negatived.

श्री बी० के० नायर : मैं अपने संशोधन संख्या 94, 95 और 96 वापिस लेता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

The amendments were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : अब मैं श्री बनतवाला का संशोधन संख्या 105 सभा में मतदान के लिये रखता हूं :

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं श्री चन्द्रप्पन की संशोधन संख्या 136 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय: अब प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 13 was added to the Bill.

खंड 14

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : मैं संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं।

श्री चित्त बसु : मैं अपने संशोधन संख्या 18 और 19 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो) : मैं अपना संशोधन संख्या 46 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ए० के० राय : मैं अपने संशोधन संख्या 86 और 87 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बी० के० नायर : मैं अपना संशोधन संख्या 97 प्रस्तुत करता हूं।

श्री यशवन्तराव बोरोले (जलगांव) : मैं अपने संशोधन संख्या 140 और 141 प्रस्तुत करता हूं।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि "यदि कोई गम्भीर शिकायत न हो तो परिषद को समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार को क्षमा करने का अधिकार होगा।" ऐसा अधिकार देने पर सम्पादक या रिपोर्टर अपने विचार स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट कर सकेंगे। इस प्रकार प्रेस का एकाधिकार भी समाप्त किया जा सकेगा।

श्री चित्त बसु : विधेयक का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतन्त्रता बनाये रखना है। लेकिन यह जांच करने के लिये किसी उपबन्ध की व्यवस्था नहीं है कि प्रेस की स्वतन्त्रता में कोई कमी हुई है अथवा नहीं। ऐसी व्यवस्था किये बिना विधेयक का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होता।

Shri Laxmi Narain Nayak : The Press Council should have the right to close any newspaper or news agency only in the circumstances where they violate the code of conduct even after receiving the warning thrice. The decision of the Press Council should be binding on the Government. Freedom to press is necessary but there should be some check upon them.

श्री ए० के० राय (धनबाद) : हम जानते है कि आज हम जब पीत-पत्रकारिता के शिकार हैं। आम सामाजिक और अन्य लोक महत्व के समाचारों की उपेक्षा करके अन्य बाते प्रकाशित की जा रही हैं। समाचार देने में पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है। जनता की परेशानियों देने को समाचार न प्रकाशित करके बड़े काण्डो पर लेख लिखे जा रहे हैं।

इसी लिये मैंने सुझाव दिया है कि प्रेस परिषद ऐसा निकाय होना चाहिये जो सरकार को कार्यवाही करने हेतु उपायों का सुझाव दे और सरकार उसको कार्यान्वित करे। दूसरे न्यायाधीन मामलों में जिस प्रकार विभागीय कार्यवाही करने की छूट होती है उसी प्रकार समाचार पत्रों के मालिकों/प्रबंधकों संबंधी न्यायाधीन मामलों पर कार्यवाही कर सकने की व्यवस्था होनी चाहिये। प्रेस परिषद को प्रबंधकों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आजादी तथा एकाधिकार होना चाहिये। इसीलिये मैंने अपना यह अत्यन्त संक्षिप्त संशोधन संख्या 87 पेश किया है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर लेंगे।

सभापति महोदय : श्री बी० के० नायर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 97।

श्री बी० के० नायर : पत्रकारिता सम्बन्धी नैतिकता के उल्लंघन का मामला जब सामने आता है तो यह भी विचार रखा जाना चाहिये कि उक्त उल्लंघन अभियुक्त पत्रकार से उसके मालिक द्वारा भी कराया गया हो सकता है। हालांकि कार्यवाही के समय वह मालिक भी प्रेस परिषद के साथ मिल जाता है। मेरा सुझाव है कि प्रेस परिषद को एक सर्वोच्च मध्यस्थ निकाय के रुप में कार्य करना चाहिये और प्रेस परिषद के अध्यक्ष को दोषी पत्र का वंचित अथवा निषिद्ध करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। यह निकाय प्रभावी तथा अधिकारों का रक्षक होना चाहिये। इसलिये प्रकाशनो के मालिकों को भी इस निकाय प्रभाव-क्षेत्र में लाया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : अब श्री यशवन्त बोरोले का संशोधन संख्या 141 विचाराधीन है।

श्री यशवन्त बोरोले (जलगाव) : मेरे संशोधन का अभिप्राय मात्र इतना है कि किसी भी शिकायत पर परिषद द्वारा विचार करने या न करने की स्वेच्छा के प्रावधान को अधिक स्पष्ट किया जाये अन्यथा यदि परिषद का अध्यक्ष कोई शिकायत परिषद के विचारार्थ भेजें तो वर्तमान नियमों के अनुसार परिषद के लिये उस पर विचार करना अनिवार्य होगा परन्तु साथ

ही मैंने अपने संशोधन में यह भी व्यवस्था रखी है कि परिषद के अध्यक्ष के निर्णय से केवल क्षुब्ध व्यक्ति ही प्रेस परिषद से शिकायत कर सकता है और परिषद अपनी समझ से, उस पर फिर से विचार कर सकती है।

इस प्रकार शिकायतों की संख्या कम हो सकेगी और समय की बचत होगी । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे इस संशोधन पर विचार करेंगे और इसे स्वीकार कर लेंगे ।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : सबसे पहले मैं श्री बोरोले के संशोधन के बारे में कहना चाहूंगा । उनका संशोधन बड़ा सोधा और सपाट है परन्तु जो परिवर्तन (अंग्रेजी शब्द "शैल" के स्थान पर शब्द "में" का प्रतिस्थापन) चाहा है वह तो संदर्भ के अनुसार स्वयं ही विद्यमान है । अत: इस संशोधन को आवश्यकता हो नहीं है ।

दूसरे, श्री नायर का संशोधन संख्या 97 निस्सन्देह काफ़ी महत्वपूर्ण है । इसमें दोषी व्यक्तियों के लिये कड़े दण्ड की व्यवस्था मांगी गई है परन्तु जो शब्दावली रखी गई है वह कुछ अस्पष्ट सी है जबकि अन्य खण्डो में परिषद को अपेक्षित शक्तियां पहले ही प्रदान कर दी गई हैं। अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपने इस संशोधन पर जोर न दें ।

श्री चित्त बसु के संशोधन संख्या 18 और तत्परिणामस्वरुप संशोधन संख्या 19 में भी यही बात कही गई है कि प्रेस परिषद प्रेस को आयादि को प्रभावित करने वाली बातों पर नजर रखें । वस्तुत: तो इस विधेयक का मख्ये उद्देश्य हो यह है कि प्रेस की स्वतंत्रता बनाये रखी जाये। इस पहलू पर दूसरी सभा में तथा प्रवर समिति में भी विस्तार से विचार किया गया है और सरकार के विचार से इस संशोधन को स्वीकार करना जरूरी नही है क्योंकि इस संशोधन का अभिप्राय खण्ड 15 (4) में दिये गये प्रावधान से पूरा हो जाता है । अत: माननीय सदस्य अपने इस संशोधन पर जोर न दें ।

इसी प्रकार श्री धीरेन्द्र नाथ बसु से भी मेरा अनुरोध है कि वह अपने संशोधन पर जोर न दें ।

सभापति महोदय : क्या कोई सदस्य अपना संशोधन वापस लेना चाहता है ?

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : मंत्री महोदय द्वारा व्यक्त भावना को देखते हुए मैं अपना संशोधन संख्या 7 वापस लेता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
The amendment was, by leave, withdrawn.

श्री चित्त बसु : मैं अपने संशोधन संख्या 18 और 19 वापस लेने की सभा से अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।
The amendments were, by leave, withdrawn.

श्री लक्ष्मी नारायण नायक : मैं अपना संशोधन संख्या 46 वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment was, by leave, withdrawn.

श्री ए० के० राय : मैं अपने संशोधनों पर जोर देता हूं ।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 86 तथा 87 सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

सभापति : मैं श्री नायर का संशोधन संख्या 97 सभा में मतदान के लिये रखता हूं । वह इस समय उपस्थित नहीं हैं ।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was, by leave withdrawn.

श्री यशवन्त बोरोले : मैं अपने संशोधन संख्या 140 तथा 141 वापस लेने के लिए सभा से अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

The amendments were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 14 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 14 was added to the Bill.

14क (नया खण्ड)

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं अपना संशोधन संख्या 106 पेश करता हूं ।

मेरे संशोधन का प्रयोजन यह है कि यहां परिषद को यह अधिकार है कि वह पत्रकारों, सम्पादकों तथा समाचार एजेन्सियों के विरुद्ध शिकायतों पर विचार करके उन्हें दण्डित कर सके वहां, साथ ही उसे सरकार के विरुद्ध भी शिकायतों पर विचार करने तथा अपनी टिप्पणियां या सिफारिशें राष्ट्रपति को पेश करके उन पर कार्यवाही करने के लिये कहने का अधिकार होना चाहिये । इस लिये, इस उद्देश्य के लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक नया खण्ड 14 क जोड़ कर इस आशय की व्यवस्था की जाये यही प्रावधान मेरे संशोधन का उद्देश्य है ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूं तथा उनकी प्रशंसा करता हूं । वास्तव में ही सरकार को भी प्रेस की आजादी में हस्तक्षेप करने की शिकायत पर विचार करने और अपना निर्णय देने का अधिकार परिषद को होना चाहिये ।

परन्तु माननीय सदस्य यदि विधेयक के अन्य खण्ड भी पढ़े तो उन्हें ज्ञात हो जायेगा कि ऐसी व्यवस्था इस विधेयक में पहले से ही कर दी गई है । खण्ड 15(4) में इस आशय की स्पष्ट व्यवस्था है कि परिषद अपने कार्यकरण तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अपने प्रतिवेदनों में सरकार के विरुद्ध भी टिप्पणियां तथा निर्णय कर सकती है । परिषद के प्रतिवेदन, जैसा कि स्पष्ट है, संसद के दोनों सदनों में आयेंगे, वहां चर्चा होगी और माननीय सदस्यों को सभी कुछ कहने और जानने का मौका मिलेगा । संसद सर्वोच्च है और फिर वह उन प्रतिवेदनों के बारे में चाहे जो निर्णय ले सकती है ।

इस दृष्टि से, माननीय सदस्य का संशोधन आवश्यक नहीं रह जाता । अतः मैं अनुरोध करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले ले ।

श्री जी० एम० बनतवाला : मंत्री महोदय के आश्वासन को देखते हुए मैं अपना संशोधन संख्या 106 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।
The amendment was, by leave, withdrawn.

श्री अमृत कासर : मैं अपना संशोधन संख्या 43 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमन्, मेरे संशोधन का प्रयोजन भी वही है जो श्री बनतवाला के संशोधन का था । मंत्री महोदय आश्वासन दे चुके हैं । परन्तु फिर भी, मैं सरकार द्वारा विज्ञापन देने के संदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि सरकार छोटे समाचार पत्रों को विज्ञापन देना बन्द करके दबा सकती है । अतः मेरा उद्देश्य छोटे समाचार पत्रों को सुरक्षण प्रदान करवाने का है ।

सभापति महोदय : श्री अजीतसिंह दाभी का संशोधन संख्या 91 भी इस आशय का है जिस आशय का श्री कासर का संशोधन है । अतः वह इसे पेश नहीं कर सकते । हां, यदि चाहे तो कुछ बोल सकते हैं ।

श्री अजीत सिंह दाभी (आनन्द) : समाचार पत्र चलाने के लिये धन चाहिये और सरकारी विज्ञापन ही उनके लिए एक धन का एक निरन्तर साधन है । सरकार के पास भी अपने विज्ञापन एक सशक्त हथियार है । यदि इसका सही उपयोग न हो तो प्रेस की आज़ादी को हानि पहुंचती है जिसे बचाने का उद्देश्य इस विधेयक में निहित है । मेरे संशोधन में एक नया खण्ड 14ख बनाने के प्रयोजन के पीछे यही भावना है कि सरकार इस हथियार से समाचार पत्रों को दबाने के अपने रवैये के लिये प्रेस परिषद के प्रति उत्तरदायी रहे । यदि सरकार किस समाचार पत्र को विज्ञापन देना बंद कर दे तो उसकी जांच करने का अधिकार प्रेस परिषद को होना चाहिये और जांच तथा परिषद के निर्णयों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का भी अधिकार परिषद को होना चाहिये ।

इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहता हूं किस प्रकार सरकार प्रेस को दबा सकती है । "इण्डिया टुडे" के अगस्त अंक की कुछ पंक्तियां के अनुसार बिहार में मुख्य मंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर तथा कृषि मंत्री श्री कपिलदेव सिंह से प्रेस की आज़ादी को ख़तरा है । श्री कपिलदेव ने संवाददाताओं को धमकी दी थी कि यदि उन्होंने झूठी बातें छापनी बन्द न की तो उन बातों के खण्डन को बजाये उनके सम्पादकों के घर गुण्डे भेजे जायेंगे । पिछली सर्दियों में इन दो समाचार पत्रों को कम विज्ञापन दिये गये क्योंकि ये दोनों पत्र में कुख्यात बराहिया कांड की जांच में व्यस्त थे जिससे मंत्री महोदय का नाम आता था ।

[श्री अजित सिंह दाभी]

कुछ सप्ताह पूर्व श्री ठाकुर एक अंग्रेजी दैनिक के संवाददाता पर झपट भी पड़े जबकि वह राज्य में पंचायती चुनावों के बारे में तथ्य बता रहा था...

सभापति महोदय : इन बातों का संशोधन से क्या संबंध है । आपका संशोधन तो विज्ञापनो के बारे में है ।

श्री अजीत सिंह दाभी : मैं बस इतना और कहकर समाप्त करूंगा कि इससे पूर्व समाचार मिले थे कि वहां की सरकार पटना प्रेस को ख़रीद लेने या दबा देने पर तुली है । स्वयं श्री ठाकुर के प्रेस सलाहकार के एक साप्ताहिक के विशेष बिहार अंक के प्रबंधकों को 18 पृष्ठ का पत्र लिखा था और स्वयं श्री ठाकुर ने भी एक बड़े पत्र के प्रबंधकों से लीख कर कहा था कि वे उस संवाददाता को वापस बुला लें । जब यह प्रयास भी सफल नही हुआ तो इस संवाददाता के एक मित्र मंत्री को रुपये देकर इस "विकट संवाददाता" का मुंह बन्द करने को भेजा गया ।

इस समय ठाकुर प्रशासन ने बिहार के प्रेस पर दोहरा आक्रमण कर रखा है...

सभापति महोदय : इससे आगे कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जायेगा । **(व्यवधान)****

श्री अजीत सिंह दाभी : इस मामले में विज्ञापन देना बन्द कर दिया गया । जनता सरकार के शासन में प्रेस की ऐसी आजादी का उदाहरण देते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : श्री कासर तथा श्री दाभी के संशोधन निश्चय ही अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह सच है कि विशेषकर छोटे समाचार पत्रों के लिये विज्ञापन का महत्व बहुत अधिक है । परन्तु यहां हम केवल एक या दो उदाहरणों को लेकर नहीं बल्कि व्यापक उद्देश्य के लिये विधान बना रहे हैं तथा प्रेस को स्वाधीन को बनाये रखने, प्रेस परिषद का विचार लाये हैं। अतः माननीय सदस्य को उन्ही की भाषा में उत्तर देने की उत्तेजना को मैं दबा रहा हूं क्योंकि उन्होंने बड़े निम्न स्तर की बात कही है ।

(व्यवधान)

व्यवधान **

सभापति महोदय : मैं इसे रिकार्ड की जाने की अनुमति नहीं देता ।

व्यवधान**

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य ने अपनी बात कह ली है तथा मुझे भी अब अपनी बात कहने का अधिकार है ।

(व्यवधान)

मैंने यही कहा था कि उन्होंने कुछ घटनाओं की हवाला दिया है । मैं माननीय मित्र श्री कासर के उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं जिसमें समाचार पत्रों की बिक्री, उनके वित्त पोषण और स्थायित्व के बारे में आशंकाएं उठाई गई हैं क्योंकि सरकार विज्ञापन देने के मामले में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है ।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उन्होंने जिस ओर संकेत किया है वह वास्तविक खतरा है किन्तु हम उसकी ओर अपनी आंख नहीं मूंदना चाहते । यदि आप खण्ड 13(2)(क) तथा 15 (4) के साथ-साथ पढ़कर देखें तो ज्ञात होगा कि सरकार उस ढंग से अपनी नीति का दुरुपयोग नहीं कर सकती जैसे पहली कभी की गई हो । खण्ड 13 (2)(क) में स्पष्ट कहा गया है कि "समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों की स्वतंत्रता बनाये रखने में सहायता के लिये"। इस खण्ड से प्रैस परिषद का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है । सरकार इससे समाचारपत्रों की स्वतंत्रता बनाये रखने के लिये बाध्य होगी । अतः विज्ञापन सम्बन्धी नीति समाचारपत्रों की स्वतंत्रता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डाला जा सकता । मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस ले लें ।

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 91 भी इसी प्रकार का संशोधन था जो बाधित हो गया । अब मैं संशोधन संख्या 43 सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 43 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 43 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 15 was added to the Bill.

खण्ड 16

श्री बी० सी० काम्बले (बम्बई दक्षिण-मध्य) : मैं अपना संशोधन संख्या 152 प्रस्तुत करता हूं ।

[**श्रीमती पार्वती कृष्णन पीठासीन हुई**
Shrimati Parvathi Krishnan in the Chair.]

मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि छोटे समाचारपत्रों को जिनकी ग्राहक संख्या 10,000 से कम है उनको शुल्क के मामले में कुछ छूट अवश्य दी जाए जिससे वे मध्यम स्तर और बड़े स्तर के समाचारपत्रों के साथ जीवित रह सकें । यदि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन दें तो मैं अपने संशोधन पर बल नहीं दूंगा ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं माननीय सदस्य की विशेषकर छोटे समाचारपत्रों के लिये चिंता को महसूस करता हूं । मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमों में इस बात की पूरी सावधानी बरती जायेगी कि छोटे समाचारपत्रों को, जो प्रायः क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होते हैं, कोई असुविधा न हो । मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं बड़े समाचारपत्रों पर अधिक दर से शुल्क लिया जायेगा तथा मध्यम स्तर के समाचारपत्रों पर कम दर ले और छोटे समाचारपत्रों पर उससे भी कम दर से शुल्क लिया जायेगा । जिन समाचारपत्रों की ग्राहक-संख्या 5,000 से कम होगी उन पर यह शुल्क नहीं लगाया जायेगा ।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।

The amendment was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 16 was added to the Bill.

खण्ड 17 और 18

सभापति महोदय : खण्ड 17 में डा० रामजी सिंह का एक संशोधन है किन्तु वह अनुपस्थित है । खण्ड 18 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 और 18 विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 17 और 18 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 17 and 18 were added to the Bill.

खण्ड 19

श्री बी० सी० काम्बले : मैं अपना संशोधन संख्या 119 प्रस्तुत करता हूं । मेरे इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि प्रेस परिषद का वार्षिक बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जा सके ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इस खण्ड के उपबन्धों के अधीन प्रेस परिषद् का वार्षिक बजट केन्द्रीय सरकार को भेजा जायेगा तथा वह बजट सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के बजट में सम्मिलित होगा । सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के बजट पर विचार विमर्श के दौरान इस परिषद् के बजट पर स्वतः ही चर्चा हो सकेगी । अतः माननीय सदस्य के इस संशोधन की आवश्यकता ही नहीं रहती । अगर अब माननीय सदस्य अपने संशोधन पर बल नहीं देंगे ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 19 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 20 से 22 विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 20 से 22 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 20 to 22 were added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 23 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 23 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 24 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 24 was added to the Bill.

खण्ड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 28 was added to the Bill.

खण्ड 26

श्री रवीन्द्र वर्मा : खण्ड 26 के उपखण्ड (क) में गलती से "धारा 19" छप गया है यह वास्तव में "धारा 9" होना चाहिये ।

सभापति महोदय : खण्ड 26 में यह शुद्धि कर दी जायेगी । अब प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 26 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 26 was added to the Bill.

खण्ड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 27 was added to the Bill.

खण्ड 1 तथा अधिनियमन सूत्र/विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clause 1 and the Enacting formula were added to the Bill.

विधेयक का नाम

श्री बी० सी० काम्बले : मैं अपना संशोधन संख्या 107 प्रस्तुत करता हूँ । वास्तव में विधेयक के नाम में इस विधेयक का कोई उद्देश्य परिलक्षित नहीं होता । मैंने इसी उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए अपना यह संशोधन प्रस्तुत किया है । मैंने यह संविधान में दी गई प्रस्तावना से लिये हैं ।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : वास्तव में सभी कानून संविधान के उद्देश्य को पूरा करने के लिये बनाये जाते हैं । अत: संविधान में उल्लिखित प्रस्तावना को अन्य विधानों में बार-बार दोहराना उचित नहीं है ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।
The amendment was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

विधेयक का नाम विधेयक म जोड़ दिया गया
The Title was added to the Bill.

श्री लाल कृष्ण अडवानी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाय ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

श्री पी० वेंकट सुब्बया (नन्दयाल) : इस विधेयक का मूल उद्देश्य विभिन्न समाचारपत्रों के कार्यकरण को विनियमित करना तथा प्रैस को सभी प्रकार के दबावों या शोषणों से मुक्त रखना है । एक अन्य उद्देश्य सभी वर्गों के एक समान प्रतिनिधित्व देना है । पहले समाचारपत्रों की स्थापना राष्ट्रीय हित तथा देश भक्ति की भावना से की जाती थी किन्तु बाद में तथा इस समय में दुर्भाग्य से बड़े समाचारपत्र बड़े व्यापारियों के कब्जे में हैं । इन बड़े व्यापारियों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंट रखा है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि देश में समाचारपत्र पहले की भांति उदात्त भावनाओं का अनुसरण करें ।

सरकार किसी भी दल की हो किन्तु यह रवैया आमतौर पर देखा जाता है कि सरकार विज्ञापनों के माध्यम से समाचारपत्रों को अपनी उंगली पर नचाती है । इस विधेयक के माध्यम से इस आशंका को भी दूर कर देना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ ।

श्री सी के० चन्द्रप्पन (कन्नानुर) : इस विधयक का उद्देश्य यह है कि प्रैस की स्वतंत्रता बनी रहे । किन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रैस को उद्योगपतियों के चंगुल से मुक्त रखा जाये । मैं मन्त्री महोदय को केवल यह याद दिलाना चाहता हूं कि प्रैस आयोग अपना कार्य पूरा करने में कई वर्ष ले लेगा तथा जब उनका प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा तो वह भी अपना निर्णय देने को कई वर्ष ले लेगी । इस प्रकार इस विधेयक का वही हाल होगा जो प्रैस परिषद् विधेयक का होगा । अतः मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस स्थिति को न आने देने के लिये कोई ठोस उपाय करेगी तथा प्रैस को बड़े औद्योगिक गृहों के चंगुल से छुड़ाने के लिये कोई प्रभावकारी कदम उठायेगी ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : प्रैस परिषद् विधेयक का वहां तक सभी को समर्थन करना चाहिये जहां तक इसके द्वारा प्रैस को स्वतंत्रता देने का वास्तविक प्रयास किया गया है । आपात स्थिति के दौरान प्रैस के कार्यकरण को दुषित किया गया था । जसा कि श्री चन्द्रप्पन ने कहा है प्रैस की स्वतंत्रता मुख्य रूप से केवल इस कारण समाप्त हुई है क्योंकि समाचारपत्रों पर बड़े औद्योगिक गृहों का आधिपत्य है । इसीलिये समाचारपत्र देश की गरीब जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं करते । सरकार ने यह विधेयक लाकर अच्छा कार्य किया है । मेरा यह भी सुझाव है कि सरकार समाचारपत्रों को बड़े औद्योगिक गृहों के स्वामित्व से अलग करने के लिये भी कोई प्रयत्न अवश्य करे ।

Shri L. K. Advani : Madam chairman I thank all the hon. Members also have supported this Bill. The previous Press council certain did some job but that council could not do that much which was expected from them due to some difficulties. This time, there will be no difficulty regarding the composition of the council. I hope the Press council will be able to achieve two main objectives, that is, maintain self-disciplines and freedom of Press, irrespective of the fact that any pressure is laid by the industrialists or the Government.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

विश्व भारती (संशोधन) विधेयक
VISVA-BHARATI (AMENDMENT) BILL.

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 25 जुलाई, 1978 को अपनी बैठक में स्वीकृत किये गये और 27 जुलाई, 1978 को इस सभा को भेजे गए प्रस्ताव में राज्य सभा द्वारा की गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा विश्व-भारतीय अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक सभा के 22 सदस्य, नाम निर्दिष्ट किए जायें ; अर्थात् :—

(1) श्रीमती रेणुका देवी बउकटकी
(2) श्री बेदब्रत बरुआ
(3) श्री त्रिदिव चौधरी
(4) श्री धीरेन्द्र नाथ बसु
(5) श्री रुडोल्फ रोड्रिग्स
(6) श्री सी० के० चन्द्रप्पन
(7) श्री अजीत सिंह दाभी
(8) श्री राजकृष्ण डान
(9) श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव
(10) श्री आर० डी० गट्टानी
(11) श्री समर गुहा
(12) श्री बी० जी० हांडे
(13) श्री निर्मल चन्द्र जैन
(14) श्रीमती मोहिसिना किदवई
(15) डा० सरोजिनी महिषी
(16) श्री पी० राजगोपाल नायडू
(17) श्री के० ए० राजू
(18) श्री राम जीवन सिंह

[डा० प्रताप चंद्र चंद्र]

(19) डा० सरदीश राय
(20) श्री जगन्नाथ शर्मा
(21) श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
(22) श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र''

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 25 जुलाई, 1978 को अपनी बैठक में स्वीकृत किये गये और 27 जुलाई, 1978 को इस सभा को भेजे गए प्रस्ताव में राज्य सभा द्वारा की गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा विश्व-भारतीय अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक सभा के 22 सदस्य, नाम निर्दिष्ट किए जाये; अर्थात् :—

(1) श्रीमती रेणका देवी बड़कटकी
(2) श्री बेदब्रत बरुआ
(3) श्री त्रिदिव चौधरी
(4) श्री धीरेन्द्र नाथ बसु
(5) श्री रुडोल्फ रोड्रिग्स
(6) श्री सी० के० चन्द्रप्पन
(7) श्री अजीत सिंह दाभी
(8) श्री राजकृष्ण डान
(9) श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव
(10) श्री आर० डी० गट्टानी
(11) श्री समर गुह
(12) श्री बी० जी० हांडे
(13) श्री निर्मल चन्द्र जैन
(14) श्रीमती मोहिसिना किदवई
(15) डा० सरोजिनी महर्षि
(16) श्री पी० राजगोपाल नायडू
(17) श्री के० ए० राजू
(18) श्री राम जीवन सिंह
(19) डा० सरदीश राय
(20) श्री जगन्नाथ शर्मा
(21) श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
(22) श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र''

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : शिक्षा मंत्री ने विश्व भारती (संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजना उचित समझा है। मैं उनका ध्यान पश्चिम बंगाल के अनेक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा हल्दी में परिचालित एक ज्ञापन की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने लिखा है कि विश्वभारती स्थापित करने के बारे में रवीन्द्र नाथ ठाकुर की मूल संकल्पना यह थी कि वह एक

ग्रामीण विश्वविद्यालय रहेगा जहां ललित कला और दर्शन का अध्ययन किया जायगा। मेरा निवेदन यह है कि अब भी सभा संयुक्त समिति को अनुदेश दे सकती है कि रवीन्द्र नाथ ठाकुर के मूल विचार को ध्यान में रखा जाए और विश्व-भारती देश के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिये एक उदार मानववादी संस्था होनी चाहिये। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य प्रत्येक पाठ्यक्रम पढ़ाना मात्र नहीं होना चाहिये। सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का नियंत्रण अपने हाथों में लिये जाने से पूर्व वर्ष 1951 तक के इस के विशेष स्वरूप को बनाये रखना चाहिये।

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : वर्ष 1971 में जारी किये गये अध्यादेश में अनेक प्रकार के उल्टे सीधे काम करने की व्यवस्था की गई है और मुझे आशा है कि संयुक्त समिति, इस संस्था के अद्वितीय स्वरुप को बनाये रखने जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसके संस्थापक ने जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी, हम उन आदर्शों से दूर चले गये हैं। अब इसका दर्जा देश में अन्य विश्वविद्यालयों के समान ही हो गया है। अब दो प्रकार की राय बन गई है. एक उसके मूल आदर्शों को कायम रखने के बारे में है और दूसरी उसमें अनेक प्रकार के अन्य विषय पढ़ाये जाने के बारे में है। यह एक विवादास्पद विषय बन गया है। मेरे विचार में संयुक्त समिति को बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिये।

इस विश्वविद्यालय के प्रशासन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की नीति बनाने और उसे क्रियान्वित करने के काम में अध्यापकों, छात्रों तथा अन्य कर्मचारियों को अपने विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिये। इन सभी वर्गों का सहयोग बहुत आवश्यक है ताकि वर्ष 1971 में हुई अप्रिय घटनाएं दोबारा न घटें। कर्मचारियों और छात्रों के संगठनों को विश्वविद्यालय के अनुशासन को कायम रखते हुए काम करने की छूट होनी चाहिये।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : मैं श्री विनोद मुकर्जी से मिला था जो आजकल दिल्ली में हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 30–40 वर्ष की आयु वाले कुछ लोग किस प्रकार शान्ति निकेतन में आया करते थे, जहां टूटे-फूटे कुटीर थे जिन के अन्दर सांप भी होते थे और वे उनकी प्रशंसा में लेख लिखते थे। वहां पर पानी की भी कमी थी परन्तु उसकी भी प्रशंसा की जाती थी। मेरे विचार में विश्व-भारती का आधुनिकीकरण करने और कुछ आधुनिक विषय पढ़ाने में कोई गलत बात नहीं है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं इस बात से सहमत हूं कि इस संस्था को अद्वितीयता बनाये रखने का अर्थ आधुनिक विषयों, आधुनिक सुविधाओं को अस्वीकार करना नहीं है। मेरे विचार में माननीय सदस्य का विचार यह है कि हमें संस्था को ऐसा नहीं बना देना चाहिये जिसका रवीन्द्र नाथ ठाकुर द्वारा स्थापित आदर्शों से कोई सम्बन्ध ही न रहे। मेरे विचार में शिक्षा को उत्थान करने वाली शक्ति और जीवन के विभिन्न पहलुओं में मनुष्य के सम्पूर्ण विकास का साधन समझा जाना चाहिये। यदि इन दो आदर्शों को अथवा ध्येयों को स्वीकार कर लिया जाय तो मेरे विचार में विश्व-भारती यह भूमिका निभा सकती है। वहां पर किये जाने वाले अध्ययन में मानव की स्वतंत्रता, एकता और जीवन के मूलभूत प्रयोजन के रूप में नितान्त स्वाधीनता के आदर्शों को स्थान दिया जाना चाहिये। यदि ऐसा किया जाये तो यह विश्वविद्यालय लाभप्रद भूमिका निभा सकता है।

वस्तुतः ऐसे अनेक संस्थान हैं जिनको हमारे बड़े अच्छे नेताओं ने बड़े ऊंचे आदर्श रख कर स्थापित किया था परन्तु वे गलत हाथों में पड़कर अपने असली स्वरुप को खो बैठे हैं और आज हमें उनका बाहरी ढांचा मात्र दिखाई देता है। मैं चाहता हूं कि यह संयुक्त प्रवर समिति अपने कार्य को विश्व भारती तक ही सीमित न रखे बल्कि गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, शान्ति निकेतन आदि के बारे में भी

[प्रो० पी० जी० मावलंकर]

विचार करे और मेरे विचार में हमें सम्बन्धित व्यक्तियों पर चीजें छोड़ देनी चाहिये और प्रशासनिक ब्यौरे और बाधाओ के बारे में कोई कष्टप्रद प्रक्रिया नहीं बनानी चाहिये । हमें गुरुदेव के एकता और मानव स्वतंत्रता सम्बन्धी आदर्शों से बहुत प्रेरणा मिली है । मुझे आशा है कि इन आदर्शों को इस नये परिवर्तित अधिनियम में स्थान दिया जायगा जो अब प्रवर समिति के पास भेजा जा रहा है ।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): I had been lucky enough to stay at Visva Bharati for some time and had an occassion to come in contact with great scholars there in 1952. Now the complexion of this university has been completely changed. I feel that if moderness of modernisation confirmed, there would be no difference between Shanti Niketan, Visva Bharati and other Universities. It is wrong to suggest that there is no relevance of such an institution in modern times. Every University has its own peculiar character. Visva Bharati should be allowed to maintain its original character. I would suggest that members of the Joint Committee should visit Visva Bharati and study the ideals of Gurudev and its originality should be restored. We can have any amount of modernisation in rest of 149 Universities Modernisation of Visva Bharati would be a suicidal step. Rajya Sabha has also not welcomed this measure. The select committee should go into this Bill without any prejudice. Gurdev had visited China and U.S.S.R. and had an idea of Western World also. He wanted to establish link between Science and spiritual and this is why Visva Bharati came into being. The Members of Select Committee should keep all these facts in mind.

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : विश्व-भारती के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है परन्तु इसका कारण तथ्यों की पर्याप्त जानकारी न होना है । रवीन्द्र नाथ ठाकुर के मूल आदर्शों के बारे में कुछ विवाद है । इस सम्बन्ध में इस समय इतना कहा जा सकता है कि ममोरेंडम आफ एसोसिएशन आफ दि विश्वभारती सोसायटी में, जो वर्ष 1920 के प्रारम्भ में स्थापित की गई थी, सम्मिलित रवींद्रनाथ ठाकुर के मूल उद्देश्यों का बहुत ही ध्यानपूर्वक इस विधेयक में समावेश किया गया है । हमने अब इन सभी मूल उद्देश्यों को इस विधेयक के एक विशेष खंड में ले लिया है । इस से वह विश्वविद्यालय इन मूल उद्देश्यों को ध्यान में रख कर सब प्रकार की कार्यवाही करेगा और इन से भिन्न कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगा । श्री रवीद्र नाथ ठाकुर के जीवन काल में ही उनके मूल विचारों में काफी परिवर्तन करना पड़ा था क्योंकि विश्व-भारती को अन्ततोगत्वा कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना था और छात्रों को कलकत्ता विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों में शिक्षा दी जा रही थी । अतः यदि इसका स्वरूप बहाल करना है तो इस अधिनियम को समाप्त करना होगा और विश्व-भारती को कलकत्ता विश्वविद्यालय के नियंत्रण में लाना होगा । यद्यपि यह वांछनीय नहीं है, वास्तविक समस्या आधुनिकीकरण की है और गुरुदेव ने स्वयं महसूस किया था कि सामान्य शिक्षा से काम नहीं चलेगा । विश्व-भारती से निकलने वाले छात्रों को भी रोज़गार चाहिये और वह सामान्य शिक्षा से नहीं मिलेगा । इसीलिए गुरुदेव ने छात्रों की इस मांग को, बड़े दुख के साथ, स्वीकार कर लिया था कि विश्व-भारती को किन्हीं अच्छे स्तर वाले विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्ध कर दिया जाये । फिर भी हम चाहेंगे कि इसका अपना भिन्न स्वरूप बना रहे ।

इस सभा में जो कुछ स्वीकृत किया जायेगा उसको प्रवर समिति के समक्ष रखा जायेगा । हम विश्व-विद्यालय के संगठनों के लिये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था करना चाहते हैं । इस समय मंत्री की सिफारिश पर विज़िटर द्वारा नाम-निर्देशन किया जाता है । परन्तु हम यह शक्ति विश्वविद्यालय के अध्यापकों, छात्रों सहित शिक्षा समुदाय को सौंपना चाहते हैं । हम आशा करते हैं कि जब प्रबन्ध में शिक्षकों व छात्रों का बहुमत हो जायेगा तब वे रवीद्र नाथ ठाकुर के आदर्शों का आदर करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि सभा इस प्रस्ताव को स्वीकार करें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 25 जुलाई, 1978 की अपनी बैठक में स्वीकृत किये गये और 27 जुलाई, 1978 को इस सभा को भेजे गये प्रस्ताव में राज्य सभा द्वारा की गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा विश्व-भारतीय अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक सभा के 22 सदस्य, नामनिर्दिष्ट किए जायें ; अर्थात् :—

(1) श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी
(2) श्री बेदब्रत बरूआ
(3) श्री त्रिदिव चौधरी
(4) श्री धीरेन्द्र नाथ बसु
(5) श्री रुडोल्फ रोड्रिग्स
(6) श्री सी० के० चन्द्रप्पन
(7) श्री अजीत सिंह दाभी
(8) श्री राजकृष्ण डान
(9) श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव
(10) श्री आर० डी० गटाट्नी
(11) श्री समर गुह
(12) श्री वी० जी० हांडे
(13) श्री निर्मल चन्द्र जैन
(14) श्रीमती मोहिसिना किदवई
(15) डा० सरोजिनी महिषि
(16) श्री पी० राजगोपाल नायडू
(17) श्री के० ए० राजू
(18) श्री राम जीवन सिंह
(19) डा० सरदीश राय
(20) श्री जगन्नाथ शर्मा
(21) श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
(22) श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक
INDUSTRIAL RELATIONS BILL

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्धों को बढ़ावा देने की दृष्टि से जिसमे आर्थिक विकास की गति तीव्र हो तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो, कर्मचारियों और नियोजकों के व्यवसाय संघों के

[श्री रवीन्द्रवर्मा]

रजिष्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के अधिकार और दायित्व तथा व्यवसाय संघ विवादों के समझौते, कर्मचारियों के नियोजन को शर्तों तथा औद्योगिक स्थापनों या उपक्रमों नियोजित कर्मचारियों और उनके नियोजकों के बीच विवाद के अन्वेषण और समझौते से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए तथा उनसे सम्बंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को दोनों सभाओ की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 33 सदस्य हो, इस सभा के 22 अर्थात् :--

(1) श्री चित्त बसु
(2) श्री दोनेन भट्टाचार्य
(3) श्री एस० आर० दामानी
(4) श्रीमती मृणाल केशव गोरे
(5) श्री हुकम चन्द कछवाय
(6) श्री अमृत नाहाटा
(7) प्रो० पी० जी० मावलंकर
(8) श्री प्रसन्नभाई मेहता
(9) श्री बी० के० नायर
(10) श्री के० एस० नारायण
(11) श्री के० ए० राजन
(12) श्री ए० ई० टी० बैरो
(13) श्री के० राममूर्ति
(14) श्री रामदास सिंह
(15) श्री सौगत राय
(16) श्री राम धारी शास्त्री
(17) श्री दिग्विजय नारायण सिंह
(18) श्री गोविन्द राम मिरी
(19) श्री उग्रसेन
(20) श्री आर० वेंकटरामन
(21) श्री सी० वेनुगोपालन
(22) श्री रवीन्द्र वर्मा

और राज्य सभा से 11;

कि संयुक्त समिती की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई होगी ;

कि समिति दिसम्बर 1978 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियो से सम्बन्धित इस सभा के प्रकिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रुपभेदों के साथ जैसा कि अध्यक्ष करें, लागू होंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संयुक्त समिति राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ;

श्री पूर्णा नारायण सिन्हा (तेजपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को राय जानने हेतु 31 डिसम्बर, 1978 तक परिचालित किया जाय ।"

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह विधेयक स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए लाया गया है और इससे औद्योगिक विकास और सामाजिक न्याय में वृद्धि होगी । मैं समिति का ध्यान रानीगंज और कुलटी कोयला खान क्षेत्रों में भूस्खलन आदि के खतरे की ओर दिलाना चाहता हूँ । इस मामले को कोयला संरक्षण तथा विकास सलाहकार समिति को छठी बैठक में लाया गया और सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया जाय ।

क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण सम्बन्धी प्रस्ताव का उद्देश्य इस क्षेत्र का सघन विकास करने का माध्यम बनाना है । इस प्राधिकरण के बनने तक हाइड्रोलिक सैन्ड स्टोइंग कार्यक्रम लागू किया जाय । कोयला खनन प्रबन्ध को अपनी अकर्मण्यता को धन की कमी बता कर नहीं छिपाना चाहिए ।

श्री सोगत राय (बैरकपुर) : विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो हड़ताल के अधिकारों को कुचलते हैं। हड़ताल के लिए नोटिस देना पड़ेगा । सरकार के पास हड़ताल को नियन्त्रित करने के अधिकार हैं, जो उचित नहीं है । संयुक्त प्रवर समिति को विधेयक में हड़ताल के अधिकार को न कुचलने के बारे में अतिरिक्त प्रावधान करने के लिए कहा जाना चाहिए । विधेयक में एक विशेष प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए ताकि हड़ताल के मूलभूत अधिकार को कुचला न जा सके ।

समिति को यह निदेश भी दिया जाय कि तालाबन्दी के अधिकार को सीमित किया जाय । तालाबन्दी के अधिकार पर प्रतिबन्ध ही लगना चाहिए । श्रमजीवी वर्ग विधेयक से बहुत आशायें रखता है और विधेयक में व्यवस्था किये बिना श्रमजीवी वर्ग की आकांक्षायें पूरा नहीं हो सकती ।

श्री पूर्णा नारायण सिन्हा (तेजपुर): मैं चाहता हूं कि विधेयक को 31 दिसम्बर, 1978 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाय । यह आवश्यक है कि इस परिस्थिति में यह उचित होगा कि एक व्यापक जनमत प्राप्त किया जाय । अतः विधेयक को या तो मान्यताप्राप्त मजदूर संघों को उनकी राय जानने के लिए भेजा जाये या प्रवर समिति के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर 45 की जाये जिसमे इस सभा के 30 सदस्य हों और राज्य सभा के 15 ताकि हर प्रकार की राय का इसमें प्रतिनिधित्व हो सके। मजदूर संघों के सक्रिय सदस्यों को इस प्रवर समिति में रखा जाय ।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) : मुझ खेद है कि मन्त्री महोदय विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने की जिद पर अड़े हुए हैं । हमारे विरोध के बावजूद हमारे दल के एक सदस्य को प्रवर समिति में शामिल किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम विधेयक के श्रमिक विरोधी पहलुओं का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं ।

हड़ताल का अधिकार तथा संयुक्त रूप से सौदेबाजी करने का अधिकार महत्वपूर्ण अधिकार है जिसे देश के श्रमजीवी वर्ग ने 50 वर्ष की कुर्बानियों के बाद प्राप्त किया है । अब इन अधिकारों को कम किया जा रहा है । यदि इस विधेयक को ध्यान से देखा जाय तो पता चलेगा कि विधेयक का उद्देश्य हड़ताल सम्बन्धी आपात कालीन स्थिति को स्थायी बनाने का है । इससे श्रमिकों के बीच अधिक अशान्ति होगी ।

अतः सत्तारूढ़ दल से मेरा अनुरोध है कि वह इस प्रस्ताव को त्याग दे और अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरा विधेयक लाये ।

[श्री एम० कल्याणसुन्दरम]

सरकार इस विधेयक को लाने में जल्दबाजी कर रही है। प्रवर समिति को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक का समय दिया गया है। यह उचित नहीं है। संयुक्त समिति को पर्याप्त समय दिया जाय जिससे वह विधेयक के उपबन्धों की भली भांन्ती जांच की जा सके। अतः संयुक्त समिति को दिये गये समय में वृद्धि की जाय।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : इस विधेयक के माध्यम से श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने के अधिकार को समाप्त किया जा रहा है। यह श्रमिक वर्ग की पीठ में एक प्रकार से छुरा घोंसा जा रहा है। इस देश में समूचे औद्योगिक सम्बन्ध तत्व को अब नौकरशाही का रूप दिया जा रहा है। इस विधेयक को सभी महत्वपूर्ण कार्मिक संघों ने अस्वीकार कर दिया है। इसमें कई ऐसे उपबन्ध है जो श्रमिक वर्गों में भेदभाव करते हैं। भारत का संविधान और यह विधेयक सर्वथा एक दूसरे के विपरीत लगते हैं।

हम चाहते हैं कि प्रवर समिति इस मामले को जल्दबाजी में न निपटाये। इस पर पूरी तरह विचार किया जाना चाहिए और इस पर विचार करते समय उन्हें सभी वर्गों के लोगों, कार्मिक संघों तथा समूचे श्रमिक वर्ग के विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। इस मामले में राज्य सरकारों से भी परामर्श किया जाना चाहिए।

[श्री राममूर्ति पीठासीन हुए
Shri Ram Murti in the Chair]

समूचे विधेयक में एक भी ऐसा उपबंन्ध नहीं है जो कि मजदूर वर्ग के अधिकारों के पक्ष में हो। इसके लिए एक छोटा सा उपबन्ध भी नहीं है। दूसरी ओर विभिन्न मामलों में रुकावटें पैदा की गई हैं जो कि श्रमिक वर्ग के अधिकारी को समाप्त करती हैं।

उच्चतम न्यायालय का यह विचार है कि यदि कोई प्रदर्शन शान्तिपूर्ण ढंग से किया जाता है, तो वह एक मौलिक अधिकार है। अब अगर किसी उस मालिक के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाता है, जिसने भविष्य निधि की धनराशि का दुर्विनियोग किया है और श्रमिकों के वेतन का भुगतान नहीं किया है, तो भी इस प्रदर्शन को अनुचित कार्यवाही ठहराया गया है और ऐसा मामला न्यायाधिकरण को सौंपा जायेगा। इसके अतिरिक्त न्यायाधिकरण का गठन भी दोषपूर्ण लगता है, क्योंकि विधेयक में कहा गया है कि न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी कोई न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश अथवा किसी श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी होना चाहिए। इससे तो न्यायाधिकरण पूरी तरह नौकरशाही के अधीन कार्य करेगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मैं मंत्री महोदय और इस प्रवर समिति के सदस्यों का ध्यान इस विधेयक में शामिल कुछ खतरनाक उपबन्धों की ओर दिलाना चाहूंगी। मन्त्री महोदय ने उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह कहा है कि श्रम सम्बन्धी कानून को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, किन्तु मुझे तो एक मात्र सुधार यह लग रहा है कि महाराष्ट्र औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, डी०आई०आर०, गुजरात औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम आदि के सभी बुरे उपबन्ध इस विधेयक में शामिल किये गये हैं। मजदूर वर्ग निरन्तर इन विधानों के खोखलेपन का विरोध करते आ रहे हैं।

मंत्री महोदय ने उद्देश्यों और कारणों के विवरण के बारे में गुमराह करने वाला वक्तव्य दिया है और यह दर्शाया है कि यह विधेयक अत्यंत प्रगतीशील और लोकतांत्रिक है। अतः मैं चाहती हूं कि प्रवर समिति के सदस्य इस पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।

जहां तक बातचीत करने वाली इकाई के चयन का सम्बन्ध है, मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहती हूं कि 11 केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठनों में से नौ ने कहा है कि वे मान्यता बैलट द्वारा चाहते है। यदि सरकार और कोई फार्मूला लाती है तो निश्चित ही वह श्रमिक वर्ग को मान्य नहीं होगा। इसमें रेलवे के कर्मचारी भी सम्मिलित है। बैलट द्वारा मान्यता देना एक लोकतांत्रिक तरीका है।

हड़ताल करने के अधिकार को अनुचित ढंग से समाप्त किया जा रहा है। औद्योगिक विवादों को हल करने का इस विधेयक में जो तरीका दिया गया है वह ऐसा है कि जो हड़ताल करने के अधिकार को क्षीण बनाता है और ऊपर से ऐसा लगता है कि मानो वे हड़ताल के अधिकार को अछूता छोड़ रहे हों। मैं मंत्री महोदय को चेतावनी देना चाहती हूं कि श्रमिक वर्ग केवल यह धमकी देने से कि यह हड़ताल गैर-कानूनी है तथा इसके लिए दंड दिया जायेगा, अपने हड़ताल करने के अधिकार को यों ही नहीं गंवायेगा। जब तक पूंजीवाद विद्यमान है जब तक बड़ीबड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एकाधिकारवादियों और स्वयं सरकार द्वारा रेलवे में और केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में शोषण किया जाता रहेगा तब तक वे किसी भी विधान की परवाह किए बिना अपने हड़ताल करने के अधिकार की रक्षा करते रहेंगे। इस तरह के विधान से औद्योगिक शान्ति नहीं रखी जा सकती। औद्योगिक शान्ति केवल तभी स्थापित होगी जब कि मजदूर वर्ग को लोकतांत्रिक ढंग से संघ चलाने का वास्तविक अधिकार होगा, जब कि संघों को मान्यता लोकतान्त्रिक ढंग से दी जायेगी और जब कि मजदूरों को यह विश्वास हो जायेगा कि सरकारी नीतियों को बनाते समय उनकी आवाज को भी ध्यान में रखा गया है।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि पंजीकरण के बारे में जो हस्तक्षेप किया जा रहा है तथा कार्मिक संघों के रजिस्ट्रार को जो शक्तियाँ दी जा रही है, वे कुछ ऐसी बातें है जिन्हें वे अब कदापि स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इसके द्वारा नौकरशाही को अधिकाधिक शक्तियां दी जा रही है और कार्मिक संघों के लोकतांत्रिक कार्यकरण को मजबूत नहीं बनाया जा रहा है। रजिस्ट्रार को दी जा रही शक्तियों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए और उसे शक्तियां देते समय सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि कार्मिक संघों के कार्यकरण को अधिक मजबूत बनाया जाये। कार्मिक संघों को पूरे अवसर दिये जाने चाहिए और उन्हें स्वयं पता है कि वे अपने संगठनों के लोकतांत्रिक कार्यकरण को किस प्रकार मजबूत बनायें।

श्री सरत कार (कटक) : मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

[श्रीमती पार्वती कृष्णन पीठासीन हुई
Shrimati Parvathi Krishnan in the Chair]

सदन में पहले ही इस बारे में सर्वसम्मति है कि इस विधेयक को भली-भांति जांच की जानी चाहिये। मैं इस बात को तो नहीं मानता कि यह विधेयक आपात स्थिति को बनाये रखने वाला है, न ही यह बात है कि हड़ताल करने का अधिकार पूर्ण रुप से छीन लिया गया है। मंत्री महोदय ने कही है कि हड़ताल तो अंतिम हथियार है, बुनियादी अधिकार नहीं। हमें हड़ताल करने के अधिकार और राष्ट्रीय उद्योग को चलाने की व्यवस्था के बीच संतुलन बनाये रखना है। मेरा विचार है कि विधेयक को लोकमत के लिए परिचालित किया जाये। जनता और राजनीतिक दलों के सभी वर्गों को इकट्ठी बैठना चाहिए और कार्मिक संघों तथा लोगों से ज्ञापन आमंत्रित करने चाहिये।

सभापति महोदया : रक्षा मंत्री को अब एक वक्तव्य देना है। उसके बाद आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री सरत कार : मैं केवल एक मिनट और लूंगा । संयुक्त समिति में और सदस्य लिये जायें विशेषकर ऐसे जिन्हें कार्मिक संघ का अनुभव हो और वे युवा हों । कार्मिक संघों को मान्यता के प्रश्न को भांति हड़ताल करने के बारे में भी गुप्त मतदान हो ताकि श्रमिकों के बहुमत का पता चल सके ।

भारतीय वायु सेना के लिये विमानों के चयन के समाचार के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. REPORTED SELECTION OF AIRCRAFT FOR INDIAN AIR FORCE

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कैनबरा और हंटरों के स्थान पर नई किस्म के विमान चुनने के संबंध में सदन को समय-समय पर स्थिति की जानकारी दी है ।

29 अगस्त, 1978 को माननीय सदस्य, श्री राज नारायण ने, सदन में नियमन 377 के अन्तर्गत इस विषय पर कुछ टिप्पणियां की थीं । इसलिये तदनुसार इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक हो गया है । प्रारम्भ में ही, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि सरकार ने इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है कि इस काम के लिए कौन सा विमान खरीदा जाए या भारत में उसका उत्पादन किया जाए । सदन को याद होगा कि इस काम के लिये तीन प्रकार के विमानों अर्थात् जागुआर, मिराज एफ-1 और विज्जन पर विचार किया जा रहा था और उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों के जिस दल को स्वीडन, फ्रांस और ब्रिटेन के दौरे पर भेजा गया था, उसकी रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल की संबंधित समिति को अभी विचार करना है ।

माननीय सदस्य श्री राज नारायण द्वारा उठाए गए मुद्दों पर, चाहे वह फ्रांस की पेशकश के बारे में हो अथवा दूसरी अन्य पेशकशों में से कोई हो, इस समय टिप्पणी करना सम्भव नहीं है, खासकर जबकि इस मामले पर मंत्रिमंडल समिति को अभी विचार करना है और निर्णय लेना है । इस विषय पर भारत सरकार और फ्रांस की सरकार तथा अन्य विदेशी मित्र सरकार के बीच हुए विचार विनिमय को बताना भी उचित नहीं होगा । परंतु किसी पेशकश को अस्वीकार करने का या किसी भी रूप में उसके गुणावगुणों की नजर-अंदाज करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैं पूरी तरह इस बात का खण्डन करना चाहता हूं कि विमान का पहले ही चुनाव कर लिया गया है, अथवा पहले कोई निर्णय ले लिया गया है । यह कहना या यह अर्थ निकालना भी ठीक नहीं है कि ऐसे कथित निर्णय के लिए कोई "कमीशन" बांटा गया है–किसी "काकस" अथवा "प्रेशर ग्रुप", अथवा अन्य प्रकार का प्रभाव डाला गया है । यह पूर्णतया असत्य है ।

यह संबंधित मंत्रिमण्डल समिति का काम है कि जो विभिन्न पेशकशें की गई हैं उनका औचित्य के आधार पर सभी पहलुओं से विचार करें और निर्णय ले । इस संबंध में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेगा । इस विषय पर बताये गये तर्कसंगत तथ्यों या मुद्दों पर समुचित ध्यान दिया जाएगा, यदि वे गढ़ी गई रिपोर्ट, गलत अफवाहों अथवा गलत सूचना या भ्रामक अनुमान पर आधारित न हों ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): An early decision should be taken about the deep penetration aircraft which is pending for the last ten years. On the other hand. Pakistan is purchasing sophisticated aircraft and others weapons and also increasing its naval strength. I would like to know from the Hon. Minister about the defence preparations made by the country.

श्री जगजीवन राम : मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और की जाती रहेगी ।

Shri Raj Narain (Rae Bareli) : I would like to know from the Defence Minister whether it is a fact that Expert Committee has been asked to specify our needs. It has become quite clear that the flying speed of Jaguar is 15—20% less than Mirage. Has this aspect been examined by the Committee ?

During the visit of the Prime Minister to America, his Special Secretary and Political Secretary also accompanied him, but they dropped at London and returned after a long time after the Prime Minister. I would like to know whether Defence Minister has got full information and facts relating to their activities and the talks held by them with the officers connected with Jaguar ?

Shri Jagjivan Ram : I would like to say that all the aspects have been looked into and a comparative study has been made of the three aircraft by the expert officers and they have left the decision to the Cabinet Committee.

I do not have the information as to who accompanied the Prime Minister and where they dropped. But to conclude that some decision has been taken with regard to Jaguar is far from the truth.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस नये किस्म के विमान की आवश्यकता के बारे में रक्षा मंत्रालय में विचार किया गया है और अन्तिम रूप से निर्णय लिया गया है अथवा इस प्रकार का कोई मत प्रकट किया गया था कि रक्षा प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त वर्तमान विमान में संशोधन करके इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप लाया जाये । क्या उल्लिखित इन तीन किस्मों के विमानों के अतिरिक्त विशेषज्ञ समिति ने, विशेष रूप से विश्व के समाजवादी देश से, किसी अन्य विमान पर विचार किया है । मिग-25 एक अच्छा विमान साबित हुआ है और उसके निर्माण की क्षमता देश में है । क्या इन सभी पहलुओं पर विचार किया गया है ?

श्री जगजीवन राम : केनबरा और हंटर विमानों को बदलने का निर्णय भारतीय वायु सेना के विशेषज्ञों द्वारा लिया गया है और हमें उनके परामर्श के अनुसार चलना होता है । उन्होंने इन तीनों विमानों का मूल्यांकन किया है, किसी अन्य विमान का नहीं, क्योंकि इस किस्म के किसी प्रकार के अन्य विमान की कोई पेशकश नहीं की गई थी । हमारी भारतीय वायु सेना में वस्तुतः समाजवादी देशों के बहुत से विमान हैं लेकिन इस प्रयोजन के लिये हमें जिस किस्म के विमान की आवश्यकता है, उसकी पेशकश उन्होंने नहीं की है ।

औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक—जारी
INDUSTRIAL RELATIONS BILL—*Contd.*

श्री रवीन्द्र वर्मा : सदस्यों ने मुख्य रूप से तीन बातें कही हैं । एक बात परामर्श के बारे में है । दूसरी बात श्रमिकों के इस अधिकार के बारे में है कि वे हड़ताल का अंतिम हथियार उठा लेंगे । तीसरी बात यह है कि समिति पर अनुचित प्रभाव डाला जायेगा । काफी विचार-विमर्श के बाद सरकार यह विधेयक लायी है ताकि सभी वर्गों को यह स्वीकार्य हो । संयुक्त प्रवर समिति इसे किस रूप में लायेगी, यह मैं नहीं कह सकता । जनता पार्टी अपने बहुमत के बावजूद संयुक्त समिति पर कुछ थोपेगी नहीं । चूंकि विषय गंभीर है और जिसका किसी एक वर्ग पर नहीं अपितु समूचे समाज पर प्रभाव पड़ता है । कोई यह भी नहीं कह सकता कि मामले पर विचार न किया जाये । हर बात को सुना जाता है तथा इस सभा के माननीय सदस्यों को एक दूसरे में विश्वास होना चाहिये कि वह संसद-सदस्य जो समिति का

[श्री रविन्द्र वर्मा]

सदस्य है, न केवल किसी एक दल अथवा वर्ग विशेष का, अपितु लगभग छह लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, संसद सदस्य के रूप में अपना पूर्ण उत्तरदायित्व निभायेगा। अतः मुझे पुरा विश्वास है कि इस दृष्टि से उठाई गई सभी आपत्तियों पर संयुक्त समिति विचार करेगी।

जहां तक हड़ताल के अधिकार का संबंध है, श्री सौगत राय तथा कुछ अन्य मित्रों, जिन्हें कल इस प्रश्न पर बोलने का अवसर नहीं मिला, ने इस प्रश्न का उल्लेख किया था।

मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि श्रमिकों को हड़ताल का अधिकार न देने का किसी प्रकार का कोई प्रयास नही किया जायगा। यदि संयुक्त समिति समझती है कि इस विधेयक की कोई भी बात व्यक्तियों, दलों और वर्गों के अधिकारों के समूचे समाज के अधिकारों के साथ समझौते के सिद्धान्त के विरुद्ध होगी। संयुक्त समिति निश्चय ही इसका निष्कर्ष निकालेगी। अतः जब वह सभा के समक्ष आय तो उस समय सभा यह कहने की स्थिति में होगी कि संयुक्त समिति की सिफारिशें मूल अधिकारों के विरुद्ध है या नुही। मुझे इसका अग्रिम उत्तर नहीं देना है।

जिस अंतिम बात के बारे मे मैं करना चाहता हूं वह हड़ताल बैलट, श्रमिक संघों के रजिस्ट्रार द्वारा हस्तक्षप आदि के बारे में है। इस समय मैं विस्तारपूर्वक कुछ नही कहना चाहता क्योंकि ऐसा करना संयुक्त समिति के विचारों के बारे में पूर्व-निर्णय करना होगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैंने संयुक्त समिति के लाभ के लिए ही ऐसा कहा था।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा नही करूंगा।

मैं केवल उन्हें इतना ही कहुंगा कि श्रमिक वर्ग प्रौढ़ हो गया है परन्तु इस प्रौढ़ता के बारे में प्रत्येक क्षेत्र में दुहाई में नहीं दी जानी चाहिये।

Chowdhry Balbir Singh (Hoshiarpur): This is not the fact. This Bill has to go to Select Committee also. How can whole debate about Trade Unions take place in advance?

Shri Sougat Roy: You want to snatch away our right of discussion. **(Interruptions).**

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य शायद ठीक कह रहे हैं परन्तु कठिनाई यह है कि यदि मैं उत्तर नहीं देता हूं तो मुझे उत्तर न देने के लिये दोषी ठहराया जायेगा और यदि उत्तर देता हूं तो यह कहा जाता है कि मैं पहले से बता रहा हूं। जैसी परिस्थितियां हैं उनमें मैं समझता हूं कि मैं पर्याप्त उत्तर दे चुका हूं और मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि मैं यह सुनिश्चित करने के लिये प्रवर समिति में अपना पूरा प्रभाव डालुंगा कि विधेयक के हर पहलू पर विचार किया जाये।

मैं प्रस्ताव का सभा की स्वीकृति के लिये अभिप्राय करता हूं।

जो सुझाव दिया गया है कि समय कम हो सकता उसके उत्तर में, यदि मैं इसमें संशोधन करने का औपचारिक प्रस्ताव करूं तो इतना ही कह सकता हूं कि 'अगले सत्र के पहले सप्ताह' के स्थान पर 'दिसम्बर' का पहला सप्ताह'।

सभापति महोदय : आपका संशोधन 'पहला दिन' है।

अब श्री पूर्णो सिन्हा का संशोधन है। क्या आप इस पर आग्रह कर रहे हैं अथवा वापस ले रहे ह ?

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा: मैंने एक वैकल्पिक सुझाव दिया था कि समिति का विस्तार किया जाये। यदि वह इस सुझाव को स्वीकार करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय : मैं नहीं चाहता कि इसे सशर्त वापस लिया जाये। या तो आप कहिये कि मैं संशोधन वापस लेता हूं या कहिये वापस नहीं लेता हूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : म माननीय सदस्य से एक बात कहना चाहता हूं। जो कोई भी सक्षम और रुचि रखने वाला हो उसे समिति में शामिल करना संभव नहीं है परन्तु माननीय सदस्य को आशंका है कि जो व्यक्ति सदस्य नहीं हैं वे समिति के समक्ष बयान नहीं दे सकते हैं।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : जब तक वह मंत्री न हो, बयान नहीं दे सकता है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : सदस्य बयान दे सकता है। साक्ष्य दे सकता है।

सभापति महोदय : मैं अंतिम रूप से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन पर आग्रह करना चाहते हैं या इसे वापस लेना चाहते हैं।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : असहमति संभव है। कार्यवाही-वृत्तान्त में यह शामिल किया जाय कि मैं इस असहमति के साथ इसे वापस ले रहा हूं।

सभापति महोदय : ऐसी बात कार्यवही वृत्तान्त में शामिल नहीं की जा सकती। आप इसे वापस लेने अथवा न लेने के लिए स्वतन्त्र ह।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।
The amendment was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्धों को बढ़ावा देने की दृष्टि से जिसमें आर्थिक विकास की गति तीव्र हो तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो, कर्मचारियों और नियोजकों के व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के अधिकार और दायित्व तथा व्यवसाय संघ विवादों के समझौते, कर्मचारियों के नियोजन की शर्तों तथा औद्योगिक स्थापनों या उपक्रमों में नियोजित कर्मचारियों और उनके नियोजकों के बीच विवादों के अन्वेषण और समझौते से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए तथा उनसे सम्बन्धित या उनके अनुषंगिक विषयों के लिये विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 33 सदस्य हों, इस सभा के 22 अर्थात् :

(1) श्री चित्त बसु
(2) श्री दोनेन भट्टाचार्य
(3) श्री एस० आर० दामाणी
(4) श्रीमती मृणाल गोरे
(5) श्री हुकम चन्द कछवाय
(6) श्री अमृत नाहाटा
(7) प्रो० पी० जी० मावलंकर
(8) श्री प्रसन्नभाई मेहता
(9) श्री बी० के० नायर

[सभापति महोदय]

(10) श्री के० एस० नारायण
(11) श्री के० ए० राजन
(12) श्री ए० ई० टी० बैरो
(13) श्री के० राममूर्ति
(14) श्री रामदास सिंह
(15) श्री सौगत राय
(16) श्री राम धारी शास्त्री
(17) श्री दिग्विजय नारायण सिंह
(18) श्री गोविन्द राम मिरी
(19) श्री उग्रसेन
(20) श्री आर० वेंकटरामन्
(21) श्री सी० वेनुगोपालन
(22) श्री रवीन्द्र वर्मा

और राज्य सभा से 11 ;

"कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गण पूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई होगी ;

"कि समिति दिसम्बर, 1978 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी;

"कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के क्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रुप भेदों के साथ जैसा कि अध्यक्ष करें लागू होंगे ; और

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अस्पताल तथा शैक्षणिक संस्था (कर्मचारी सेवा शर्त और नियोजन विवाद निपटारा) विधेयक

HOSPITALS AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS (CONDITIONS OF SERVICE OF EMPLOYEES AND SETTLEMENT OF EMPLOYMENT DISPUTES) BILL

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अस्पतालों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में नियोजित कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने की दृष्टि से, उनकी की शर्तों से, संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने तथा ऐसे कर्मचारियों और उनके नियोजकों के बीच के विवादों का और अन्वेषण और निपटारा

करने के लिये तथा उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिये विधेयक को दोनों सभाओंकी एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिस में 33 सदस्य हों, इस सभा के 22 अर्थात्:

(1) चित्त बसु
(2) श्री दीनेन भट्टाचार्य
(3) श्री एस्० आर० दामाणी
(4) श्रीमती मृणाल गोरे
(5) श्री हुकम चन्द कछवाय
(6) श्री अमृत नाहटा
(7) प्रो० पी० जी० मावलंकर
(8) श्री प्रसन्नभाई मेहता
(9) श्री बी० के० नायर
(10) श्री के० एस० नारायण
(11) श्री के० ए० राजन
(12) श्री ए० ई० टी० बैरो
(13) श्री के० राममूर्ति
(14) श्री रामदास सिंह
(15) श्री सौगत राय
(16) श्री रामधारी शास्त्री
(17) श्री दिग्विजय नारायण सिंह
(18) श्री गोविन्द राम मिरी
(19) श्री उग्रसेन
(20) श्री आर० वैंकटरामन
(21) श्री सी० वेनुगोपालन
(22) श्री रवीन्द्र वर्मा

और राज्य सभा से 11 ;

"कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई होगी ;

"कि समिति दिसम्बर, 1978 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी ;

"कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ जैसा कि अध्यक्ष करें लागू होंगे ; और

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अस्पतालों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में नियोजित कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित् करने की दृष्टि से, उनकी सेवा की शर्तों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने तथा ऐसे कर्मचारी और उनके नियोजकों के बीच के विवादों का और अन्वेषण और निपटारा करने के लिये तथा उससे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिये विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाय जिस में 33 सदस्य हों, इस सभा के 22 अर्थात् :

(1) श्री चित्त बसु
(2) श्री दीनेन भट्टाचार्य
(3) श्री एस० आर० दामाणी
(4) श्रीमती मृणाल गोरे
(5) श्री हुकम चन्द कछवाय
(6) श्री अमृत नाहाटा
(7) प्रो० पी० जी० मावलंकार
(8) श्री प्रसन्नाभाई मेहता
(9) श्री बी० के० नायर
(10) श्री के० एस० नारायण
(11) श्री के० ए० राजन
(12) श्री ए० ई० टी० बैरो
(13) श्री के० राममूर्ति
(14) श्री रामदास सिंह
(15) श्री सौगत राय
(16) श्री रामधारी शास्त्री
(17) श्री दिग्विजय नारायण सिंह
(18) श्री गोविन्द राम मिरी
(19) श्री उग्रसेन
(20) श्री आर० वेंकटरामन
(21) श्री सी० वेणुगोपालन
(22) श्री रविन्द्र वर्मा

और राज्य सभा से 11 ;

"कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई होगी ;

"कि समिति दिसम्बर 1978 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी ;

"कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ जैसा कि अध्यक्ष करें, लागू होंगे ; और

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियक्त किए जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

नियोजन सुरक्षा और प्रकीर्ण उपबन्ध (प्रबन्ध कर्मचारी) विधेयक

EMPLOYMENT SECURITY AND MISCELLANEOUS PROVISIONS (MANAGERIAL EMPLOYEES) BILL

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रबन्ध कर्मचारियों के नियोजन को सुरक्षा के लिये, ऐसे कर्मचारियों को उनके नियोजकों द्वारा देय राशियों की वसूली के लिये और उससे सम्बन्धित विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाय, जिसमें 33 सदस्य हों, इस सभा के 22 अर्थात् :—

(1) श्री चित्त बसु
(2) श्री दीनेन भट्टाचार्य
(3) श्री एस० आर० दामाणी
(4) श्रीमती मृणाल गोरे
(5) श्री हुकम चन्द कछवाय
(6) श्री अमृत नाहाटा
(7) प्रो० पी० जी० मावलंकर
(8) श्री प्रसन्न भाई मेहता
(9) श्री बी० के० नायर
(10) श्री के० एस० नारायण
(11) श्री के० ए० राजन
(12) श्री ए० ई० टी० बैरो
(13) श्री के० राम मूर्ति
(14) श्री रामदास सिंह
(15) श्री सौगत राय
(16) श्री रामधारी शास्त्री
(17) श्री दिग्विजय नारायण सिंह
(18) श्री गोविन्द रामभिरी
(19) श्री उग्रसेन
(20) श्री आर० वेंकटरामन
(21) श्री सी० वेनुगोपाल
(22) श्री रवीन्द्र वर्मा

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

और राज्य सभा से 11 ;

"कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई होगी ;

"कि समिति दिसम्बर, 1978 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी ;

"कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ जैसा कि अध्यक्ष करें, लागू होंगे; और

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रबन्ध कर्मचारियों के नियोजन की सुरक्षा के लिये, ऐसे कर्मचारियों को उनके नियोजकों द्वारा देय राशियों की वसूली के लिये और उससे सम्बन्धित विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 33 सदस्य हों, इस सभा के 22 अर्थात् :—

(1) श्री चित्त बसु
(2) श्री दीनेन भट्टाचार्य
(3) श्री एस० आर० दामाणी
(4) श्रीमती मृणाल गोरे
(5) श्री हुकम चन्द कछवाय
(6) श्री अमृत नाहटा
(7) प्रो० पी० जी० मावलंकर
(8) श्री प्रसन्न भाई मेहता
(9) श्री बी० के० नायर
(10) श्री के० एस० नारायण
(11) श्री के० ए० राजन
(12) श्री ए० ई० टी० बैरो
(13) श्री के० राममूर्ति
(14) श्री रामदास सिंह
(15) श्री सौगत राय
(16) श्री रामधारी शास्त्री
(17) श्री दिग्विजय नारायण सिंह
(18) श्री गोविन्द राम मिरी
(19) श्री उग्रसेन
(20) श्री आर० वेंकटरामन
(21) श्री सी० वेनुगोपाल
(22) श्री रवीन्द्र वर्मा

और राज्य सभा से 11 ;

"कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई होगी;

"कि समिति दिसम्बर, 1978 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी ;

"कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ जैसा कि अध्यक्ष करें, लागू होंगे ; और

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

बोट क्लब पर हुई दुर्घटना, जिसमें विदेश मंत्री, श्री अटल बिहारी बाजपेयी को पत्थर फेंके जाने के कारण चोटें आईं, के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. INCIDENT OF STONE-THROWING AT BOAT CLUB RESULTING INJURIES TO THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS, SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE

सभापति महोदय : गृह मंत्री महोदय वक्तव्य देना चाहते हैं . . .

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : इससे पहले कि वह वक्तव्य दी मैं यह जानना चाहता हूं कि सभा 6 बजे तक कार्य करेगी या . . .

सभापति महोदय : मैं तो सभा पर निर्भर करता हूं । अभी से कहना उचित नहीं होगा । अभी 5 बज कर 35 मिनट हो रहे हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : थोड़ी देर बाद 6 बज जायेंगे ।

सभापति महोदय : अधीर मत होइए । हम इस पर बाद में निर्णय करेंगे ।

गृह मंत्री ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०डी०पाटिल) : मैंने उस घटना से संबंधित तथ्यों का पता लगाया है जो आज सुबह घटी जिसमें श्री अटल बिहारी बाजपेयी के ललाट पर चोट आई । दिल्ली पुलिस ने हमें सूचित किया है कि बोट क्लब पर अपने दु:ख और रोष की भावनाओं को प्रकट करने के लिए लगभग 1200 छात्र एकत्र हुए थे । इन एकत्रित छात्रों में से लगभग पांच या छह लड़कियों को उपाध्यक्ष को एक ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए पुलिस की जीप में जाने की अनुमति दी गई थी । इस दौरान श्री बाजपेयी बोट क्लब पर पहुंचे और पुलिस की एक अन्य जीप के बोनट पर चढ़ कर छात्रों को सम्बोधित किया । जब वह छात्रों के समक्ष भाषण दे रहे थे तो कुछ ने जीप पर चढ़ने की कोशिश की । भीड़ में से कुछ ने पत्थर फेंके जिनमें से एक श्री बाजपेयी के ललाट पर लगा । उन्हें जो चोटें आई हैं उनका उपचार डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में किया गया है । अस्पताल में उनकी देख-रेख की जा रही है । एक कांस्टेबल को भी मामूली चोटें आईं ।

दो व्यक्तियों, जिनके नाम विजय कुमार--पंजाब विश्वविद्यालय का एक छात्र, और श्री राम किशन, डी० ए० वी० कालेज, लाजपतनगर, नई दिल्ली की संध्याकालीन कक्षाओं का छात्र है, को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उनके विरुद्ध पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/506/308/332/353 के अधीन एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 539 दिनांक 31-8-1978 दर्ज किया गया है । कोई लाठी प्रहार नहीं किया गया परन्तु घटना के बाद पुलिस ने डंडी से छात्रों का पीछा करके भगा दिया ।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सुबह मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि भीम सेन, जो बोट क्लब पर था, कांग्रेस (आई) से है। मुझे उसके नवीनतम संबंधों का पता नहीं है कि वह कांग्रेस से है या कांग्रेस (आई) से ।

सभापति महोदय : यह मामला यहां कैसे उत्पन्न होता है ? मैं नहीं समझता कि यह मामला इससे उत्पन्न होता है। उन्होंने इसे नोट कर लिया है ।

श्री ओ० वी० अलगेशन (अर्कोनम) : वह आर० एस० एस० से भी हो सकता है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : मुझे अनावश्यक रूप से मत भड़काइए ।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं वहां गया था। श्री भीम सेन वहां था। वह काश्मीर का विधायक है तथा कांग्रेस (आई) से है ।

सभापति महोदय : उन्हें यहां ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। अब मैं इस पर किसी प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

सचिव : महोदय, सभा में पिछली बार 24 अगस्त, 1978 को सूचना दिये जाने के बाद मैं निम्नलिखित दो विधेयकों, जिन्हें चालू सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों ने पारित किया था और जिन पर राष्ट्रपति की अनुमति दी जा चुकी है, को सभा पटल पर रखता हूं :

1. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1978 ।
2. तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 ।

सभापति महोदय : श्री चांद राम जी, क्या आप अपना विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : यदि संभव हो, तो ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : यदि सभा 2–3 घंटे तक बठने के लिये सहमत हो।

सभापति महोदय मैं सभा की राय जानना चाहता हूं । अगला कार्य श्री चांद राम का मोटरयान (संशोधन) विधेयक है। दो घंटे नियत किये गय हैं परन्तु इसमें अधिक समय लग सकता है। क्या सभा देर तक बैठने के लिये तैयार है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, नहीं ।

सभापति महोदय : अतः सभा अनिश्चित् काल के लिये स्थगित होती है । . . .

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई ।
The Lok Sabha then adjourned sine die.

मा०स०मु०ना०—सं० 2—326 एल०एस०एस०/78—13-11-78—210.

P.L.S.48.XVIII.32/78(N)
210

© 1978 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक-422 006 द्वारा मुद्रित

© 1978 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT.

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (SIXTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK-422 006